सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 229 राँची, बुधवार, 29 चैत्र, 1938 (श०)

19 अप्रैल, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2017

संख्या-01/न०प्र०नि०/NULM/SUSV-Scheme/16/2016 -2206 -- केन्द्र सरकार के पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 7) की धारा 38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित योजना(स्कीम) बनाती है ।

योजना (स्कीम)

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं विस्तार:-**

1.1 इस योजना को **"झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) योजना (स्कीम), 2017** कहा जाएगा ।

1.2 यह योजना झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

1.3 इसका विस्तार झारखण्ड राज्य के संपूर्ण शहरी क्षेत्र में होगा ।

2. **इस योजना का उद्देश्य अधिनियम और नियमावली के अनुसार पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय करने के लिये सहयोगात्मक एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और इसे बढ़ावा देना है ।**

3. **परिभाषाएं:-**

3.1 शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जैसा कि पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 तथा झारखण्ड पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 एवं संशोधित झारखण्ड पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली 2016 में उनके लिए समनुदेशित है ।

3.2 **प्राकृतिक बाजार -** स्थानीय प्राकृतिक बाजार का अर्थ वैसे बाजार से है जो कई दशक से लगातार एक ही नियत स्थान पर लगते आ रहा हो । इस बाजार में आम जरूरत/ रोजमर्रा की चीजें तथा कुछ खास किस्म की सामग्री की बिक्री के लिए प्रसिद्ध हो ।

3.3 **परंपरागत बाजार -** इस तरह का बाजार जो लम्बे समय से लग रहे हैं एवं वर्त्तमान में भी लग ही रहे हैं जैसे एतवार बाजार, सनिचर बाजार, मंगला हाट इत्यादि ।

3.4 **नियमित बाजार -** जहां निर्धारित स्थल पर नित्य प्रतिदिन बाजार लगते हैं ।

3.5 **साप्ताहिक बाजार -** ऐसे बाजार जो सप्ताह में दो बार या एक बार निर्धारित स्थान पर आयोजित किया जाता हो ।

3.6 स्थिर विक्रेता-वैसे विक्रेता जो लम्बी अवधि से एक ही स्थान/उसी बाजार में पथ विक्रेता का कार्य कर रहे हों ।

3.7 स्थिर चलन्त पथ विक्रेता -वैसे विक्रेता जो लम्बे समय से उसी शहर में ठेले इत्यादि (वाहन) अथवा सिर में टोकरी रखकर बेचने का काम कर रहे हों ।

3.8 मौसमी स्थिर विक्रेता पथ विक्रेता- वैसे विक्रेता जो किसी खास मौसम /पर्व त्योहार के समय यथा- मेला/कोई वर्ष जैसे दशहरा/ दीपावली/छठ/क्रिसमस/ ईस्टर/ईद आदि पर्व में लम्बे समय से उसी शहर/स्थान में अपना दुकान लगाने का काम करते हैं ।

3.9 मौसमी चलन्त पथ विक्रेता- वैसे विक्रेतां जो किसी खास मौसम /पर्व त्योहार के समय यथा- मेला/ कोई वर्ष जैसे दशहरा/ दीपावली/ छठ/ क्रिसमस/ ईस्टर/ईद आदि में पर्व में लम्बे समय से इसी शहर/उसी बाजार में चलन्त रूप से अपना दुकान लगाने का काम करते हैं ।

अध्याय-II

पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कराने की पद्धति

4.0 पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षणः निकाय क्षेत्र के सभी चिन्हित पथ विक्रेताओं तथा विक्रय स्थलों के लिए विभाग /निकाय के द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा तथा उनका डाटाबेस तैयार करते हुए सुरक्षित तरीके से रखा जायेगा ।

4.1 सर्वेक्षण की रीति निम्नानुसार होगीः-

4.1.1 विक्रेता के सर्वेक्षण हेतु एक दल गठित किया जायेगा,

4.1.2 गठित दल नगर विक्रय समिति के निरीक्षण एवं निर्देशन मे कार्य करेंगे,

4.1.3 सर्वेक्षण दल के गठन में निम्नांकत सम्मिलित है:-

(क) राजस्व निरीक्षक,

(ख) टैक्स कलेक्टर,

(ग) सामुदायिक संगठनकर्त्ता (डीएवाई-एनयूएलएम),

(घ) सिटी मिशन मैनेजर (डीएवाई-एनयूएलएम),

(च) स्थानीय नगर निकाय से वार्ड प्रभारी ।

(च) स्वयं सेवी संगठन के दो सदस्य जो संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा ।

(छ) वेण्डर संघ के दो प्रतिनिधि जो संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा ।

(ज) सर्वेक्षण करने वाली एजेन्सी के दो प्रतिनिधि ।

4.1.4 गठित दल निर्धारित प्रपत्र में वार्डवार पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण के कार्य को विधिवत संपन्न करायेंगे । (परिशिष्ट -क)

4.1.5 पथ विक्रेताओं के प्रारम्भिक (प्रथम) चरण के चिन्हितीकरण से संबंधित सर्वेक्षण यदि विभाग के द्वारा किसी एजेंसी की सेवा से किया जा चुका है तो अलग से सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी । पुनः अगले चरण के सर्वेक्षण पुराने पथ विक्रेताओं के नवीनीकरण एवं नये पथ विक्रेताओं के चिन्हितीकरण हेतु तय समय सीमा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी । इस कार्य को स्थानीय निकाय अपने निर्देशन में किसी वाह्य एजेंसी की सेवा (आए०एफ०पी० के माध्यम से) ले सकते हैं जिसपर पूर्व सहमति निदेशालय स्तर से प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

4.1.6 प्रारम्भिक चरण में सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण सरकार या निकाय द्वारा किया जायेगा जिसकी अन्तिम सूची का प्रकाशन मार्केटवार तथा वार्डवार तैयार करते हुए किया जायेगा। प्रारम्भिक चरण के बाद निर्धारित अवधि में होने वाले पथ विक्रेताओं से संबंधित सभी सर्वेक्षण, वार्डवार, निर्धारित एवं चिन्हित मार्केटवार होगा । अवैध रूप से बनाये गये वेण्डर मार्केट के पथ विक्रेताओं को इस प्रकार के सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जायेगा । अवैध रूप से मार्केट लगाने वाले पथ विक्रेताओं पर निकाय विधिसम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा ।

निकाय द्वारा चिन्हित पथ विक्रेताओं तथा वेण्डर मार्केट से संबंधित सूची प्रकाशित की जायेगी । जारी सूची के ईतर जो भी पथ विक्रेता शहरी क्षेत्र के मार्केट होगें वे सभी अवैध माने जायेंगे तथा इन्हें किसी भी सर्वेक्षण में शामिल नही किया जायेगा । राज्य सरकार, विभाग के माध्यम से निकायों से प्राप्त पथ विक्रेताओं तथा वेण्डर मार्केट की सूची को विभाग के वेब साईट तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम प्रकाशित करेगी, जो अंतिम होगा ।

4.1.7 निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी एकत्र करते समय जानकारी के सत्यापन हेतु मतदाता परिचय-पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस की छाया प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगें,

4.1.8 निर्धारित प्रपत्र में सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का डाटावेस बिना विलम्ब के एक माह के अन्दर नगर विक्रय समिति द्वारा तैयार किया जायेगा एवं निकाय स्तर से प्रकाशित किया जायेगा ।

4.1.9 सर्वेक्षण दल, प्रारम्भिक चरण के सर्वेक्षण के दौरान ही सभी तरह के विक्रय प्रक्षेत्र यथा प्राकृतिक, सप्ताहिक, नियमित, मौसमी आदि सभी तरह के उपलब्ध बाजारों का अवलोकन करेंगे एवं विक्रय क्षेत्र से संबंधित भूमिका रकबा, चौहदी आदि विवरण के साथ एक डाटा बेस तैयार करेगें । तैयार डाटाबेस को विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

4.1.10 प्रारम्भिक चरण के सर्वेक्षण के दौरान ही पथ विक्रेताओं, नगर निकाय के कर्मियों एवं भूमि से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की सहायता से नये संभावित मार्केट के चिन्हितीकरण का कार्य करेगें । प्राप्त जानकारियों के आधार पर प्रस्तावित भूमि की प्रकृति का रिकार्ड तैयार करने का कार्य सर्वेक्षण के समय भी किया जायेगा । भूमि से संबंधित सूची का अंतिमीकरण संबंधित जिला के उपायुक्त/भू-अर्जन पदाधिकारी तथा निकाय स्तर से प्राप्त सूचना एवं नियम के आलोक में किया जायेगा । जरूरत के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित सभी भू-खण्डों हेतु भूमि से संबधित दल भी स्थानों का भ्रमण करते हुए डाटा बेस तैयार करेंगे ।

4.1.11 विभाग/निकाय के द्वारा पथ विक्रेताओं के प्रथम चरण के सर्वेक्षण से संबधित ऑकड़ों के प्रकाशन के उपरान्त नये पथ विक्रेताओं को सूचीकरण करने हेतु एक वर्ष के बाद ही मार्केट में स्थान की उपलब्धता के अनुसार आवदेन पत्र आंमत्रित कर सकती है । प्रथम चरण के सर्वेक्षण के बाद नये पथ विक्रेताओं को सूचीकरण

करने हेतु पूर्व की निर्धारित सर्वेक्षण प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । मात्र सर्वेक्षण प्रपत्र भरने के आधार पर इन आवेदकों को कारोबार करने की अनुमति नही होगी । इन्हें विक्रेता पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात् ही कारोबार करने की अनुमति होगी ।

4.2 पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण हेतु वाह्य एजेंसी की सेवा प्राप्त करने की रीतिः-

4.2.1 चयनित सर्वेक्षण एजेंसी, सर्वेक्षण का कार्य नगर निकाय के निदेशन एवं मार्गदर्शन में करेगी तथा नगर विक्रय समिति (टाउन वेण्डिग कमिटि) सर्वेक्षण में आवश्यकतानुसार नीतिगत निर्णय में सहयोग की भूमिका अदा करेगी ।

4.2.2 सर्वेक्षण एजेंसी विभाग/निदेशालय के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही सर्वेक्षण का कार्य करेंगे एवं जानकारियों के सत्यापन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र/मार्गदर्शिका में आवश्यक दस्तावेज (मतदाता परिचय-पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस) भी संकलित करेंगे ।

4.2.3 सर्वेक्षण एजेंसी, स्थानीय नगरीय निकाय से अनुबंध के अनुसार समय सीमा में सर्वेक्षण का कार्य पूरा करेंगे ।

4.2.4 सर्वे प्रपत्र में एकत्र की गई जानकारी का डाटावेस सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आधुनिक एवं प्रचलित वैज्ञानिक रीति से तत्काल तैयार किया जायेगा । जिस पर विभाग/निकाय की पूर्व सहमति आवश्यक होगा ।

4.2.5 दूसरे चरण से सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण वार्डवार संपन्न किया जायेगा, एवं इसका प्रकाशन भी पूर्व की तरह वार्डवार ही किया जायेगा । किसी भी पथ विक्रेता का सर्वेक्षण मात्र एक ही स्थान के लिए होगा ।

4.2.6 सर्वेक्षण एजेंसी, सर्वेक्षण के दौरान पथ विक्रेताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार के भय अथवा लालच हेतु प्रोत्साहित नहीं करेगा ।

4.3 पथ विक्रेता के रूप में निबंधन/पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु आवेदन पत्र का शुल्क:-

4.3.1 प्रारम्भिक चरण के सर्वेक्षण के बाद नये पथ विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र से संबंधित फार्म के लिए 100 रूपये शुल्क निश्चित किया जाएगा । यह शुल्क पुराने पथ विक्रेताओं सेप्रत्येक 3वर्ष बाद नवीनीकरण के समय लिया जायेगा। निबंधन/ पंजीयन शुल्क मात्र पंजीयन हेतु ही है इसके भुगतान के बाद नये पथ विक्रेता, पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र के लिए दावा नही कर सकता है। निकाय, पंजीयन फार्म के शुल्क में विवेकपूर्ण बढ़ोतरी हेतु भविष्य में बोर्ड के माध्यम से निर्णय ले सकती है ।

4.3.2 नवीनीकरण हेतु पंजीयन शुल्क सर्वेक्षण आवदेन पत्र के खरीद के समय ही चुकाना होगा । यदि ऑन लाईन सर्वेक्षण किया जा रहा हो तो संबंधित वार्ड के कार्यालय में 100/- देकर ऑन लाइन सर्वेक्षण हेतु संबंधित सभी पथ विक्रेता रसीद की प्रति प्राप्त करेगा । रसीद की दुसरी प्रति सर्वेक्षण करने वाली एजेन्सी को वार्डवार निकाय द्वारा

उपलब्ध करा दिया जायेगा । प्राप्त रसीद की दूसरी प्रति मिलान के आधार पर ही पथ विक्रेता का नवीनीकरण से संबंधित ऑन लाईन सर्वेक्षण का कार्य करेगी। सर्वेक्षण के उपरांत विहित प्रक्रिया के तहत सही पाये गये पथ विक्रेताओं को ही पथ विक्रेता पहचान पत्र उपलब्ध करायेगी । स्थल उपलब्ध होने के उपरान्त ही नये पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र दिया जायेगा । नये एवं पुराने दोनो तरह के पथ विक्रेताओं के पथ विक्रेता प्रमाण पत्र में विक्रय स्थल वर्णित होगा । पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र हेतु भी नगर निकाय निर्धारित शुल्क की राशि प्राप्त करेंगे जो प्रत्येक के लिए न्यूनतम 100 रूपये होगा तथा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के समय प्राप्त किया जायेगा। भविष्य में निकाय दोनों शुल्कों में विवेकपूर्ण बढ़ोतरी हेतु बोर्ड के माध्यम से निर्णय ले सकती है ।

उपरोक्त से प्राप्त राशि को पथ विक्रेता विकास कोष के नाम से संधारित राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखा जायेगा । इस बैंक खाता का संचालन संबधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, नगर विक्रय समिति (टाउन वेण्डिग कमिटि) के अध्यक्ष एवं नगर निकाय लेखा पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। राशि का व्यय मात्र पथ विक्रेताओं के विकास एवं कल्याण कार्य के लिए ही होगा । इसका निर्धारण निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी तथा नगर विक्रय समिति (टाउन वेण्डिग कमिटि) के द्वारा लिया जायेगा ।

4.3.3 स्थानीय निकाय/नगर पथ विक्रेता समिति पंजीकरण फार्म भरने के लिये पथ विक्रेताओं को सुविधा सेवा प्रदाता के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी ।

अध्याय-III

5.0 पथ विक्रेताओं का वर्गीकरण, पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र निर्गत करने की पद्धति

5.1 पथ विक्रेताओं का वर्गीकरण :-

(क) **स्थिर पथ विक्रेता -** वैसे पथ विक्रेता जो लम्बी अवधि से एक ही स्थान /उसी बाजार में पथ विक्रेता के रूप में अपना व्यवसाय चला रहे हैं ।

(ख) **चलन्त स्थिर पथ विक्रेता -** वैसे विक्रेता जो लम्बे समय से उसी शहर में ठेले इत्यादि (वाहन) अथवा सिर में टोकरी रखकर चलन्त तरीके सेबेचने का काम कर रहे हों ।

(ग) **मौसमी स्थिर विक्रेता पथ विक्रेता -** वैसे विक्रेता जो किसी खास मौसम/पर्व त्योहार के समय यथा - मेला/कोई पर्व जैसे दशहरा/दीपावली/छठ/क्रिसमस/ ईस्टर/ ईद आदि में लम्बे समय से उसी शहर/स्थान में अपना दुकान लगाने का काम करते हैं ।

(घ) मौसमी चलन्त पथ विक्रेता-वैसे विक्रेता हैं जो किसी खास मौसम/पर्व त्योहार के समय यथा - मेला/कोई पर्व जैसे दशहरा/दीपावली/छठ/क्रिसमस/ ईस्टर/ईद आदि में लम्बे समय से इसी शहर/उसी बाजार में घुम-घुमकर अपना दुकान लगाने या सिर में टोकरी रखकर बेचने का काम करतें है ।

5.2 पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र निर्गत करने की रीतिः-

5.2.1 पंजीकृत एवं सर्वेक्षण से प्राप्त विधिवत प्रमाणित सूची के पथ विक्रेताओं को ही पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा । इससे इतर किसी भी व्यक्ति को पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र निर्गत नही किया जायेगा । पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निम्नांकित को प्राथमिकता दी जायेगीः-

(क) शारीरिक रूप से निःशक्त पुरूष- 1.5%, महिला- 1.5%;

(ख) वरिष्ठ नागरिक पुरूष- 2%, महिला- 2%;

(ग) परित्यकता और विधवा -5%;

(घ) तृतीय लिंग समुदाय 0.5%;

(च) महिला-24.5%;

(विक्रेता प्रमाण-पत्र प्रदान करने में महिलाओं के लिए कुल प्रमाण पत्रों की संख्या 33%, निःशक्तों हेतु न्यूनतम् 3% होना अनिवार्य है ।)

5.2.2 साथ ही, निकाय क्षेत्र की वर्त्तमान जनगणना के अनुसार कुल जनंसख्या का कोटिवार अनुपात के अनुसार विक्रेता प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

उपरोक्त कंडिका में वर्णित श्रेणियों के विक्रेताओं को नगर विक्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रमाण-पत्र के वितरण में प्राथमिकता दिया जाना अनिवार्य होगा । झारखण्ड नगर परिषद्/नगर निगम/नगर पंचायत की जनसंख्या के ढ़ाई प्रतिशत (2.5 प्रतिशत) की दर के मानक के अनुरूप तथा पथ विक्रेता योजना के आधार पर पथ विक्रेता जोन में पथ विक्रेताओं को विक्रय स्थल देने के लिये गणना की जाएगी ।

6.0 पथ विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिये पथ विक्रेता पहचान पत्र जारी करना तथा उससे संबंधित पात्रता हेतु शर्ते निम्न प्रकार होंगी :

6.1 पथ विक्रेता भारत का नागरिक होना चाहिए और वह नियमों में यथा विनिर्दिष्ट 18 वर्ष के आयु के मानक को पूरा करता हो ।

6.2 वह झारखण्ड राज्य में पंजीकृत मतदाता होना/होनी चाहिए ।

6.3 उसका पंजीकरण पहले किसी भी कारण के आधार पर लाइसेंस/पंजीकरण की शर्तो के उल्लंघन करने पर रद्द नहीं हुआ हो ।

6.4 आवेदक से वसूलनीय पथ विक्रय शुल्क/प्रभार/अर्थदण्ड सम्बन्धी बकाया राशि नहीं होनी चाहिए ।

6.5 वैसे पथ विक्रेता जिन्हें पूर्व मे राज्य के किसी नगर निकाय के द्वारा पथ विक्रेता पहचान पत्र जारी किया गया हो, वे सभी निरस्त होंगे तथा सभी पथ विक्रेताओं को नया विक्रेता पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा ।

6.6 एक परिवार से मात्र एक ही सदस्य को ही विक्रय पहचान पत्र दिया जायेगा । परिवार की परिभाषा भारत सरकार के द्वारा जनगणना के अनुसार होगी ।

6.7 जो वर्त्तमान में पथ विक्रेता के रूप में चिन्हित हैं या पाये गये हैं उन्हेंपथ विक्रेता पहचान पत्र दिया जायेगालेकिन प्रारम्भिक चरण के सर्वेक्षण की सूची प्रकाशित होने के उपरान्त नये पथ विक्रेताओं के साथ यह लागू नही होगा ।

(स्थानीय निकाय उक्त जानकारी की प्रमाणिकता के लिए आपस में पथ विक्रेताओं के विवरण का आदान-प्रदान करेगी)

अध्याय-IV

<u>विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निर्गत करना</u>

7. **सर्वेक्षित विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण-पत्र वितरण करने की समय-सीमा-सर्वेक्षण पूर्ण होने की तिथि से तीन माह के भीतर समस्त पंजीकृत विक्रेताओं को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत द्वारा विहित प्रपत्र में विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा ।**

8.0 **विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्त्ते:**

8.1 विक्रय प्रमाण पत्र का तात्पर्य विक्रयवाले स्थान विशेष की भूमि का स्वामित्व से नहीं है अपितु कतिपय शर्तों के आधार पर भूमि का उपयोग करना है।

8.2 विक्रेता या उसके परिवार के आश्रित सदस्य, जो विक्रय कार्य करते हैं, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम न हों,

8.3 विक्रेता किसी अवैध या अनैतिक व्यवसाय में संलग्न न हो,

8.4 विक्रेता द्वारा राज्य शासन एवं स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा कोई निषेध व्यवसाय नही किया जाना चाहिए,

8.4 विक्रय प्रमाण-पत्र को हंस्तातरित अथवा विक्रय नही किया जा सकेगा,

8.5 विक्रय प्रमाण-पत्र में विक्रेता का वर्त्तमान का रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा, तथा यदि विक्रेता की पत्नी या वयस्क बच्चो के द्वारा विक्रय का कार्य किया जाता है तो उक्त सदस्यों को फोटो भी विक्रय प्रमाण-पत्र में चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा,

8.5 सर्वे के दौरान छूट गये विक्रेताओं द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किये जाने पर विक्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा,

8.6 विक्रय प्रमाण-पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क शुल्क की राशि लेकर प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा । इससे पूर्व खो जाने की रपट थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा तथा उसे दिखाने के पश्चात् ही अग्रतेर निर्गत की पक्रिया की जायेगी ।

8.7 नये विक्रेता तथा नवीन विक्रय प्रक्षेत्र की पहचान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा यह कार्य निरंतर किया जायेगा ।

9.0 **विक्रय प्रमाण-पत्र के मापदण्ड, अतिरिक्त निबंधन एवं शर्त्ते और प्रपत्रः-** परिशिष्ट ख में विनिर्दिष्ट विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मापदण्ड एवं निबंधन और शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा । विक्रय प्रमाण पत्र का प्रपत्र इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे ।

10.0 **विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करने की रीतिः-**

10.1 पहचान पत्र स्थानीय प्राधिकरण के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा,

10.2 पहचान पत्र फोटोयुक्त तथा उस पर मुहर अभिप्रमाणित होना जरूरी है,

10.3 पहचान पत्र में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित जानकारी जैसे - जारी करने का दिनांक, वैधता दिनांक, पंजीयन क्रमांक, जोन क्रमांक, विक्रय स्थान, विक्रय अवधि, विक्रय की श्रेणी, व्यवसाय का प्रकार, पूर्ण पता, जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर, पद एवं मुहर तथा पृष्ठ भाग में पहचान पत्र उपयोग करने का दिशा-निर्देश इत्यादि होंगे,

10.4 विक्रेता को जारी किये गये पहचान पत्र में कुल तेरह शब्दीय तथा अंको का नामांकन क्रमांक दिया जायेगा । जिसमें प्रथम दो वर्ण राज्य के लिए यथा झारखण्ड के लिए (JH) कार्यक्रम के घटक का नाम यथा (SV), अगले तीन वर्ण स्थानीय नगरीय निकाय के कोड यथा रांची के लिए (RNC), इसके अगले दो अंक विक्रेता के वार्ड क्रमांक के लिए (02) होंगे । अगले चार अंक विक्रेता का सरल क्रमांक होगा, यथा 25 के लिए (0025) पूरा इस प्रकार से लिखा जायेगा । इस प्रकार पूरा JH/SV/RNC/02/0025, जो कि प्रत्येक स्थानीय नगरीय निकाय का अपने स्तर विक्रेताओं की संख्या के आधार पर जारी किया जायेगा । पहचान पत्र में परिशिष्ट **"ग"** में दर्ज के अनुसार होगा ।

11.0 **स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा पथ विक्रेता को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करने के मापदण्ड :-**

पथ विक्रेताओं द्वारा पथ विक्रेता प्रमाण हेतु निर्धारित शुल्क चुकाते हुए नगर विक्रय समिति के समक्ष रू० 50 के मूल्य स्टाम्प पेपर पर वचन प्रस्तुत कर निम्नलिखित आशय की पुष्टि करनी होगी कि-

11.1 पथ विक्रेता द्वारा पथ विक्रेता प्रमाण पत्र केवल स्वयं या परिवार के आरक्षित सदस्यों के उपयोग में लाया जायेगा,

11.2 पथ विक्रेता प्रमाण को हस्तांतरित अथवा विक्रय नहीं किया जायेगा,

11.3 पथ विक्रेता के पास स्थानीय नगरीय निकाय निकाय सीमा अंतर्गत कोई अन्य दुकान या स्थान विक्रय हेतु नहीं किया गया है,

11.4 पथ विक्रेता के परिवार के किसी अन्य आश्रित सदस्य (पत्नी/पुत्र) को पथ विक्रेता प्रमाण जारी नहीं किया गया है,

11.5 पथ विक्रेता द्वारा पथ विक्रेता प्रमाण का उपयोग किसी भी प्रकार के अनैतिक तथा अवैध व्यवसाय हेतु नहीं किया जायेगा,

11.6 पथ विक्रेता द्वारा पथ विक्रेता प्रमाण का उपयोग किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री के विक्रय हेतु नहीं किया जायेगा,

11.7 पथ विक्रेता द्वारा विक्रय प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के मादक/ नशीले पदार्थों के विक्रय हेतु नहीं किया जायेगा,

11.8 पथ विक्रेता द्वारा विक्रय प्रक्षेत्र पर स्थानीय निकाय द्वारा तय किये मानक के अनुसार स्वच्छता नियमों का पालन किया जायेगा । यदि कोई पथ विक्रेता स्वच्छता हेतु किये गये मानक के अनुरूप सफाई नही करता है तो पथ विक्रेता प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है ।

11.9 पथ विक्रेता द्वारा मात्र अनुमान्य श्रेणी के पॉलीथीन/प्लास्टिक कैरीबैग उपयोग किया जायेगा। अवहेलना करने पर विक्रेता का पहचान पत्र रद्द तक किया जा सकता है ।

11.10 राज्य सरकार समय-समय पर अग्रेतर निर्देश जारी कर सकेगी जिसे विक्रेता द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।

12.0 **पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों का संधारण, रख-रखाव एवं उपयोगः-**

सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकडों को वैज्ञानिक पद्धति से सुरक्षित रूप से संधारित किया जायेगा तथा समय-समय पर इसे जरूरत के अनुसार वैज्ञानिक एवं प्रचलित पद्धति से अद्यतन किया जायेगा । इस हेतु निदेशालय स्तर पर सेन्ट्रल सर्वर तैयार किया जायेगा तथा निकाय को उस सर्वर से जोड़ा जायेगा । निदेशालय स्तर पर NULM से संबद्ध स्टेट मिशन मैनेजर-एम आई एस या निदेशालय स्तर पर इस हेतु एक डाटा मैनेजर होगा जो पूरी तरह से इसके रख-रखाव हेतु जिम्मेवार होगें । प्रत्येक निकाय स्तर पर NULM से संबद्ध सिटी मिशन मैनेजर/जहां एम आई एस मैनेजर वर्त्तमान में निकाय स्तर के सभी जानकारियों एवं आंकड़ों सुरक्षित रखने तथा समय-समय पर अद्यतन करने का कार्य करेगें । निकाय स्तर पर पदस्थापित एम आई एस ऑफिसर भी इससे संबद्ध जानकारियों एवं आंकड़ों सुरक्षित रखने का कार्य कर सकेंगें। गोपनीयता बनाने तथा समय-समय पर अद्यतन करना तथा यथा समय इन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी इन्ही की होगी । जरूरत के अनुसार वेब साईट में भी इन ऑकड़ों को प्रदर्शित किया जायेगा । इस ऑकड़े का दुरूपयोग करना दण्डनीय होगा ।

13.0 **पथ विक्रेताओं केसर्वेक्षण, पथविक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र की वैधता एवं नवीनीकरण :-**

एक सर्वेक्षण की वैधता : एक बार किया गया सर्वेक्षण 3 वर्ष की अवधि के लिए ही वैध होगा । इसके बाद उत्तरोतर वर्षों में सर्वेक्षण का कार्य पुराने फुटपाथ विक्रेताओं के नवीनीकरण तथा नये फुटपाथ विक्रेताओं के चयन हेतु नियमित अन्तराल में संपादित किया जायेगा।सर्वेक्षण का आयोजन प्रचलित एवं वैज्ञानिक पद्धति से होगा । सर्वेक्षण के उपरांत प्राप्त ऑकड़ों का संधारण भी प्रचलित एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया जायेगा ।

पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र की वैधता :-

13.1 पथ विक्रेता प्रमाण जारी करने के वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के लिए विक्रय प्रमाण-पत्र वैध रहेगा एवं वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक इसकी वैधता बनी रहेगी ।

13.2 3 वर्ष के बाद प्रत्येक पथ विक्रेता को अनिवार्य रूप से पथ विक्रेता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना होगा। इस हेतु निर्धारित विक्रय शुल्क भी जमा करना होगा ।

13.3 नये प्रत्येक पथ विक्रेता को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित वांछित प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।

13.4 विक्रेता के किसी अन्य शहर/विक्रय प्रक्षेत्र (जोन) पर चले जाने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में संबंधित विक्रय प्रमाण-पत्र स्थानीय निकाय को सौंपा जाना चाहिए ।

14.0 **पथ विक्रेता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की रीति एवं समयावधिः-**

14.1 तीन वर्ष की समाप्ति पर नगर विक्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात् पथ विक्रेता प्रमाण की अवधि को पुनः आगामी तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा । यदि उस प्रक्षेत्र (जोन) में पुनः सर्वेक्षण नही कराया जा रहा है तो पथ विक्रेता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण पर निर्णय संबंधित नगर निकाय द्वारा सरकार की सहमति से लिया जायेगा ।

14.2 पथ विक्रेता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिये चुकाये जाने वाला शुल्क, विक्रेता द्वारा विक्रय की जा रही सामग्री तथा स्थान की व्यावसायिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। उच्च विक्रय स्थान वाले पथ विक्रेताओं को अन्य स्थानों की तुलना में अधिक शुल्क देकर नवीनीकरण कराना होगा ।

14.3 नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण स्थानीय नगर निकाय के बोर्ड द्वारा तय किया जायेगा तथा इस पर नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा । निर्धारित शुल्क समय-समय पर संबंधित नगर निकाय द्वारा संशोधित किए जा सकेंगे ।

अध्याय-V

पथ विक्रय से संबंधित क्षेत्र (स्थल)का निर्धारण,चिन्हितीकरण,निर्धारण एवं पथ विक्रेताओं का वर्गीकरण

15.0 सर्वेक्षण एवं निकायों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शहरी पथ विक्रेताओं हेतु कारोबार क्षेत्र (स्थल) का वर्गीकरण निम्नवत् होगा :-

15.1 प्राकृतिक बाजार- स्थानीय प्राकृतिक बाजार का अर्थ वैसे बाजार से है जो कई दशकों से लगातार एक ही नियत स्थान पर लगता आ रहा हो । इस बाजार में आम जरूरत/ रोजमर्रा के चीजें तथा कुछ खास किस्म की सामग्री की बिक्री के लिए प्रसिद्ध हो ।

15.2 परंपरागत बाजार-इस तरह के बाजार लम्बे समय से लगते आ रहें है एवं वर्त्तमान में लग ही रहें हैं जैसे एतवार बाजार, मंगला हाट इत्यादि ।

15.3 नियमित बाजार-जहां निर्धारित स्थल पर नित्य प्रतिदिन बाजार लगते हैं ।

15.4 साप्ताहिक बाजार-ऐसे बाजार जो सप्ताह में दो बार या एक बार निर्धारित स्थान पर आयोजित किया जाता हो ।

15.5 इसके अतिरिक्त भी यदि निकाय स्तर पर किसी अन्य तरह के बाजार पाये जाते हैं तो विभाग को सूचित किया जायेगा तथा अनुमोदन प्राप्त करते हुए बाजार के वर्गीकरण में शामिल किया जा सकेगा ।

16.0 विक्रय स्थल का चिन्हितीकरण

16.1 विद्यमान बाजार का चिन्हितीकरण एवं सूचीबद्ध करना :-

16.1.1 जो पूरे वर्ष भर विक्रय हेतु उपलब्ध होते है। सर्वेक्षण के दौरान कुछ ऐसे बाजार चिन्हित होंगे जो कई दशकों से लगातार एक ही नियत स्थान पर लगता आ रहा हो। इस बाजार में

आम जरूरत/रोजमर्रा की चीजें तथा कुछ खास किस्म की सामग्री की बिक्री के लिए प्रसिद्ध हो ।

16.1.2 सरकार के द्वारा नियोजन कर बाजार को तैयार किया गया हो तथा वेण्डर को व्यवस्थित करने के उद्देष्य से ही बसाया गया हो ।

16.1.3 ऐसे स्थान जो कुछ खास मौसम/महीने के लिए उपलब्ध होते है । पुनः उसी स्थान पर अन्य महीनों /दिनों में दूसरे व्यवसाय या कार्य किये जाते हैं ।

उपरोक्त सभी को सूचीबद्ध किया जायेगा तथा इसे प्रकाशित किया जायेगा ताकि इनके विकास करने में किसी की आपत्ति न हो तथा रिकॉर्ड भी सुरक्षित हो सके । दुकानों या स्थान के आवंटन के समय विक्रेताओं को किसी प्रकार के भ्रम का सामना करना न पड़े ।

16.2 संभावित विक्रय क्षेत्र का चिन्हितीकरण, सूचीबद्ध करना एवं नये रूप से निर्धारण -

16.2.1 निकाय के द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण के दौरान संभावित क्षेत्र जहां पथ विक्रेताओं के लिए बाजार की व्यवस्था करने की संभावना प्रकट होता है उन्हें उसी समय चिन्हित करते जाना है । उनका डाटावेस भी तैयार किया जायेगा । चिन्हित स्थलों को नये बाजार के रूप में विकसित करने हेतु निकाय विभागको विधिवत सूचित करेगी । साथ ही जिला के संबंधित भूमि एवं अन्य शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि अमुख स्थान पर पथ विक्रेताओं हेतु बाजार विकसित किया जा सकता है ।

16.2.2 पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण के दौरान विक्रय स्थल का चिन्हितीकरण करना चाहिए तथा इसके बारे में पथ विक्रेताओं की मत प्राप्त करना चाहिए । जरूरत के अनुसार उनसे स्थलों का विवरण प्राप्त किया जायेगा ।

16.2.3 नगर विकास एवं आवास विभाग सभी जिले के उपायुक्त के माध्यम से सरकारी भूमि, जहां पथ विक्रेताओं हेतु मार्केट विकसित करने से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा। निकाय अपने क्षेत्राधीन वार्डवार खाली भूमि से संबंधित विवरण विभाग को उपलब्ध करायेगा तथा पथ विक्रेताओं के लिए मार्केट विकसित करने के निमित् अनुरोध करेगा ।

16.2.4 इस नियमावली के लागू होने के दो वर्षों में (प्रारम्भिक काल में) ही निकायों द्वारा वार्डवार भूमि की उपलब्धता का सर्वेक्षण/आकलन तैयार कर लेना अनिवार्य होगा । यह कार्य सिर्फ सघन आबादी/मार्केट वाले क्षेत्र में ही सीमित नही होगी बल्कि सभी वार्ड में वेण्डर मार्केट हेतु स्थान चिन्हित करते हुए उसे लिखित रूप से आरक्षित किया जायेगा । इससे संबंधित सूचना विभाग को नियत समय में उपलब्ध कराना होगा ।

16.2.5 जमीन की उपलब्धता के अनुसार ही पथ विक्रेता हेतु कोई नया मार्केट तैयार किया जायेगा ।

चिन्हित नहीं कर सकते हैं। यदि जमीन सरकार के पास उपलब्ध है तो उसे अनिवार्य रूप से चिन्हित किया जायेगा ।

16.3 स्थल की उपलब्धता के अनुसार विक्रय क्षेत्र का निर्धारण:-

16.3.1 स्थानीय नगर निकाय के द्वारा चिन्हित स्थानों में ही विक्रय स्थल होगा। ये चिन्हित स्थल वे स्थान होंगे जहां भूमि की उपलब्धता हो तथा पथ विक्रय स्थल के रूप में विकसित भी किये गये हों ।

16.3.2 स्थानीय नगर निकाय व्यस्त सड़कों तथा भीड़ वाले स्थान को फुटपाथ विक्रेताओं के लिए । पैदल एवं साईकिल वाले पथिकों को पैदल चलने तथा साईकिल से आने-जाने वाले को राष्ट्रीय मानक के अनुसार स्थान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

16.3.3 स्थानीय नगर निकाय प्राकृतिक बाजार, परंपरागत बाजार, नियमित बाजार एवं साप्ताहिक बाजार के अतिरिक्त भी नये स्थलों को चिन्हित करने का कार्य करेगी एवं चिन्हित स्थानों पर फुटपाथ विक्रेताओं हेतु विक्रय स्थल विकसित किया जा सकता है ।

16.3.4 स्थानीय नगर निकाय सर्वेक्षण के समय चिन्हित स्थलों एवं जहां पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो तथा ग्राहकों को उस स्थल तक पहुचने में परेशानी न हो, वाहनों के पार्किंग की सुविधा मिल पाय, उन्हें प्रथम चरण में विक्रय क्षेत्र के रूप में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित किया जायेगा ।

16.3.5 निकाय क्षेत्राधीन वैसे स्थल जहां भूमि उपलब्ध है तथा मुख्य बाजार या रिहायशी क्षेत्र के पास हो, पर आवागमन हेतु पर्याप्त सुविधा न हो तो भी, उन स्थलों के विकास हेतु स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन एवं विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेगी एवं विक्रय क्षेत्र घोषित करने का पूरा प्रयास करेगी ।

16.3.6 स्थान की उपलब्धता एवं जरूरत के अनुसार विभाग, निकाय के अनुशंसा के आलोक नये स्थानों को जो पथ विक्रेता के अनुकूल हों तथा यातायात एवं सामान्य प्रशासन आदि प्रभावित नही होते हों तो, उसे पथ विक्रय जोन के रूप में विकसित करते हुए घोषित किया जा सकता है ।

16.4 मास्टर प्लान के अनुसार विक्रय क्षेत्र का निर्धारण

16.4.1 मास्टर प्लान में सुझाये गये स्थलों को प्राथमिकता के तौर पर विक्रय क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर निकाय एवं स्थानीय प्रशासन समन्वित प्रयास करेगी ।

16.4.2 भूमि की उपलब्धता में स्थानीय नगर निकाय वार्डवार फुटपाथ विक्रय स्थल चिन्हित करेगी तथा उस पर घेराबन्दी करते हुए स्थान को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करेगी । निकाय इन स्थलों को विभाग की मदद से विक्रय क्षेत्र के रूप में विकसित करने का कार्य करेगी ।

16.5 शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र जहां पथ विक्रेताओं को कारोबार करने की मनाही होगी-

16.5.1 सरकार/निकाय के द्वारा घोषित/सूचीबद्ध सभी प्रतिबंधित क्षेत्र में पथ विक्रेता अपना कारोबार नही कर सकेगें । मात्र घोषित एवं चिन्हित क्षेत्रों में ही व्यवसाय करने की अनुमति होगी । इस हेतु सरकार/निकाय सूची जारी करेगी। सूची जारी करने के बाद जिन क्षेत्रों का नाम सूची अंकित नही है, वे सभी क्षेत्र प्रतिबंधित माने जायेंगे ।

165.2 पथ विक्रेताओं को सड़क के किनारे व्यवसाय करने की अनुमति नही होगी । स्थानीय निकाय पर्याप्त जमीन होने की स्थिति में ही इस हेतु अनुमति दे

सकता है । पथों पर दुकान लगाने की अनुमति देने से पूर्व जिला प्रशासन एवं जिला यातायात प्रशाखा से निकाय को समन्वय बनाते हुए उनकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

16.6 ग्राहकों की उपलब्धता, विक्रय की संभावना, मुख्य बाजार एवं मुख्य सड़क से दूरी के अनुसार विक्रय क्षेत्र का निर्धारण :-

16.6.1 उच्च विक्रय वाले विक्रय क्षेत्र- वैसे बाजार के रूप में चिन्हित होंगे जहां अन्य पथ विक्रेता मार्केट के अपेक्षा लोगों का आवक अत्यधिक है तथा बिक्री भी दूसरे के क्षेत्र की अनुपात में अच्छा है । इस प्रकार के विक्रय क्षेत्र को उच्च विक्रय वाले विक्रय क्षेत्र के नाम से जाना जायेगा । इन स्थानों हेतु पथ विक्रेताओं को सामान्य मार्केट की निर्धारित शुल्क की अपेक्षा 25% अधिक भुगतान करना होगा। इन स्थलों पर शिफ्टवार कारोबार संचालन करने हेतु स्थानीय नगर निकाय निर्णय ले सकती है ।

16.6.2 मघ्यम एवं सामान्य विक्रय वाले विक्रय क्षेत्र- वैसे बाजार के रूप में चिन्हित होंगे जहां अन्य मार्केट की अपेक्षा लोगों का आवक भी सामान्य है तथा बिक्री भी दूसरे के अनुपात में औसत है । इस प्रकार के विक्रय क्षेत्र के लिए फुटपाथ विक्रेताओं को अपेक्षाकृत कम शुल्क भुगतान करना होगा ।

16.7 आकार के अनुसार पथ विक्रय क्षेत्र : जिस प्रकार की भूमि उपलब्ध होंगी उसी प्रकार विक्रय स्थल विकसित किये जायेंगे । बड़े आकार के पथ विक्रय स्थल में अनिवार्य न्यूनतम सुविधा के अतिरिक्त पार्किंग की भी व्यवस्था होगी । छोटे भूखण्ड में छोटे आकार वाले विक्रय स्थल विकसित किये जायेंगें । इन स्थलों पर न्यूनतम मानवीय सुविधाएं होंगी लेकिन इसके अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा नही होगी । इन स्थलों हेतु उच्च विक्रय, मध्यम तथा निम्न विक्रय स्थल हेतु निर्धारित शुल्क के रूप राशि देय होगा । निकाय बोर्ड इस आशय का प्रस्ताव अनुमोदित करेगी ।

17.0 **विक्रय क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं निर्धारण से प्राप्त आंकड़ो का संधारण, रख-रखाव एवं उपयोग :-**

सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकडों को वैज्ञानिक पद्धति से सुरक्षित रूप से संधारित किया जायेगा तथा समय-समय पर इसे जरूरत के अनुसार वैज्ञानिक एवं प्रचलित पद्धति से अद्यतन किया जोयगा । इस हेतु निदेशालय स्तर पर सेन्ट्रल सर्वर तैयार किया जायेगा तथा निकाय को उस सर्वर से जोड़ा जायेगा । निदेशालय स्तर पर NULM से संबद्ध स्टेट मिशन मैनेजर-एम आई एस या निदेशालय स्तर पर इस हेतु एक डाटा मैनेजर होगा जो पूरी तरह से इसके रख-रखाव हेतु जिम्मेवार होगें । प्रत्येक निकाय स्तर पर NULM से संबद्ध सिटी मिशन मैनेजर/जहां एम आई एस मैनेजर वर्त्तमान में निकाय स्तर के सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को सुरक्षित रखने तथा समय-समय पर अद्यतन करने का कार्य करेगें । निकाय स्तर पर पदस्थापित एम आई एस ऑफिसर भी इससे संबद्ध जानकारियों एवं आंकड़ों को सुरक्षित रखने का कार्य कर सकेंगें। गोपनीयता बनाने तथा इन्हें समय-समय पर अद्यतन करना तथा यथा समय इन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी इन्हीं की होगी । जरूरत के अनुसार वेबसाईट में भी इन ऑकड़ों को प्रदर्शित किया जायेगा । इस आंकड़े का दुरूपयोग करना दण्डनीय होगा ।

अध्याय-VI

पथ विक्रेताओं हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं विकसित मार्केट के दुकानों के आंवटन की रीति/प्रक्रिया

18.0 चिन्हित स्थलों में विक्रय प्रक्षेत्रों हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास

राज्य सरकार के द्वारा संबंधित निकाय जमीन की उपलब्धता की स्थिति में पथ विक्रेताओं के लिए चिन्हित स्थल को वैण्डर मार्केट के रूप में विकास करेगी जिसके तहत झारखण्ड नगर परिषद्/ नगर निगम/नगर पंचायत की जनसंख्या के ढ़ाई प्रतिशत (2.5 प्रतिशत) की दर के मानक के अनुरूप तथा पथ विक्रेता योजना के आधार पर पथ विक्रेता जोन में केवल पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय स्थल चिन्हित करने के लिये गणना की जाएगी ।

चिन्हित स्थलों में आधारभूत संरचनाओं का विकास संबंधित नगर निकाय के द्वारा विभागीय मदद एवं स्वयं के कोष से निम्नवत् किया जायेगा :-

18.1 चिन्हित स्थल का पारदर्शी (मोटे लोहे के छड़ से उच्च एवं जालीदार) तरीके से घेराबन्दी की जायेगी जिससे कि मार्केट सुरक्षित रहे तथा आम लोगों को बाजार आसानी से दिखाई पड़े ।

18.2 प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार की सुन्दर व्यवस्था होगी ।

18.3 पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान रहने पर अनिवार्य रूप से पार्किंग स्थल को विकसित किया जायेगा ।

18.4 पथ विक्रय स्थल पर सभी प्रकार के दुकानों के लिए 6x4 फीट क्षेत्रफल का स्थल देने का प्रावधान होगा । स्थल की ऊँचाई जमीन से न्यूनतम 2 फीट एवं अधिकतम 3 फीट की होगी । विक्रय स्थल पर पथ विक्रेताओं हेतु न्यूनतम् दो फीट उंच्चे चबुतरों का निर्माण होगा जिसमें चबुतरे के नीचे खाला स्थान होगा जहां पथ विक्रेता अपने स्टॉक का सामान आदि रख सकता है ।

18.5 दो पंक्ति के दुकान के बीच रास्ते के लिए दो मीटर का स्थान रास्ते के लिए छोड़ा जायेगा। मार्केट के अन्दर किसी तरह की साईकिल एवं वाहन ले जाना वर्जित होगा। रास्ते को ईट के सोंलिंग से विकसित किया जायेगा ।

18.6 बड़े आकार भू-खण्ड में कुल भूमि का 30% भाग अनिवार्य सुविधायें यथा शौचालय, मूत्रालय, पीने का पानी की व्यवस्था, गार्ड हेतु कमरा, लोहे का पारदर्शी चाहरदीवारी, प्रवेश एवं निकास द्वार, वाहनों हेतु पार्किंग की व्यवस्था के निमित उपयोग में लाया जायेगा ।

शेष 70% भाग में से 45% पर बैठकर बेचने वाले पथ विक्रेताओं के दुकान हेतु तथा शेष 25% भू-खण्ड चलन्त पथ विक्रेताओं हेतु आरक्षित होगा ये सभी 20 डीसिमल से उपर वाले भू-खण्डों में लागू होगा । इससे कम के भू-खण्डों में पार्किंग को छोड़कर सभी सुविधायें तैयार की जायेंगी ।

18.7 आधारभूत संरचना को विकसित किये जाने के समय निम्नांकित को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी घेराबन्दी, महिला एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण,पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था, ईट से रास्ते का सोंलिंग विकसित किया जायेगा । प्रत्येक मार्केट में एक गार्ड कक्ष तथा बीमार, धात्री महिलाओं एवं छोटे बच्चों के देखरेख हेतु एक कमरा, स्थान की उपलब्ध्ता के अनुसार निर्माण किया जा सकता है ।

19.0 विक्रय प्रक्षेत्र में शौचालय एवं मूत्रालयों का निर्माण एवं उपयोग की रीति :-

19.1 विक्रय प्रक्षेत्र में शौचालय एवं मूत्रालयों का निर्माण सामुदायिक शौचालय (community Toilet)-सरकार के चालू स्कीम के तहत उनके मानक के अनुरूप इन्हें तैयार किया जायेगा । वित्त पोषण सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान अथवा इसी तरह की समान योजनाओं के द्वारा किया जायेगा । प्रबंधन का कार्य निकाय के द्वारा किया जायेगा । टाउन वैंडिंग कमिटि भी समय-समय इसका अनुश्रवण का कार्य करेगी ।

19.2 प्रति 30 विक्रेताओं के लिये एक प्रसाधन (शौचालय) निर्मिण किया जायेगा होगातथा इससे संबंधित पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी । जल की व्यवस्था जल छाजन विधि से भी किया जा सकता है ।

19.3 विक्रेताओं के साथ-साथ क्रेताओं को ध्यान में रखते हुए पुरूष एवं महिला के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण किया जायेगा शौचालयों/प्रसाधनों की स्वच्छता मानक के अनुरूप रखरखाव हेतु पुरूष एवं महिला प्रसाधन के लिये पुरूष एवं महिला केयर-टेकर की व्यवस्था की जायेगी ।

19.4 सुचारू व्यवस्था यथा साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु किसी सामाजिक संगठन से अनुबंध किया जायेगा,

19.5 विक्रेताओं एवं सामान्य लोगों के द्वारा शौचालय के उपयोग करने पर शुल्क के संग्रहण की व्यवस्था,

19.6 विक्रय प्रक्षेत्र में विक्रेताओं द्वारा शौचालय के उपयोग हेतु मासिक पास की भी व्यवस्था होगी ।

20.0 दूकानों के आंवटन हेतु पथ विक्रेताओं को निम्नांकित श्रेणियों में बांटा जायेगा :

20.1 वैसे पथ विक्रेता, जिस वार्ड में मार्केट अवस्थित है या विकसित किया गया है वहां के स्थायी निवासी हैं तथा अपना दुकान भी अपने ही वार्ड में लगाते हैं ।

20.2 वैसे पथ विक्रेता, जिस वार्ड में मार्केट विकसित किया गया है वहां के निवासी नही हैं लेकिन अपना दुकान उसी वार्ड के मार्केट में लम्बे समय से तथा सर्वेक्षण के समय भी लगाते पाये गये हैं ।

20.3 वैसे पथ विक्रेता जिस वार्ड में रहते हैं लेकिन उस वार्ड में दुकान न लगाकर किसी अन्य वार्ड में दूकान लगातें है परन्तु यदि उन्हे अपने निवास वाले वार्ड में दुकान मिल जाय तो सहर्ष उस वार्ड में लौटने के लिए तैयार हो जायेंगे ।

20.4 वैसे पथ विक्रेता जिस वार्ड में रहते हैं तथा निवास स्थान वाले वार्ड में दुकान न की उपलब्धता के बाद भी अपने वार्ड में लौटने के लिए तैयार नही हैं ।

20.5 वैसे पथ विक्रेता जो शहर के किसी भी मार्केट जहां स्थान मिले वहां वहां जाने के लिए तैयार हैं ।

सरकार सर्वेक्षण के तुरंत बाद चिन्हितस्थलों में पथ विक्रेताओं को सम्मानपूर्वक कारोबार करने के लिए नये स्थलों में चिन्हित स्थलों में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करते हुए मार्केट का विकसित करेगी एवं चिन्हित स्थलों में शिफ्ट करेंगे। इस स्थिति में चिन्हित सभी पथ विक्रेताओं का एक डाटा बेस तैयार कर उन्हें उनके द्वारा मांगे गये विकल्प के अनुसार स्थान का आंवटन कर दिया जायेगा । शेष के लिए भी सशक्त व्यवस्था की जायेगी जो पारदर्शी, वैधानिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से सही हो । विकसित स्थलों का वितरण पथ विक्रेताओं के बीच लॉटरी पद्धति से किया जायेगा । इसके तहत वार्डवार पथ विक्रेताओं की सूची तैयार की जायेगी तथा वार्डवार भूमि उपलब्धता के आधार पर मार्केट विकसित किये जायेंगे ।

21.0 आंवटन निम्न प्रकार से प्रारम्भ होगा तथा आने वाले वर्षों में प्रचलित सर्वोत्तम वैज्ञानिक पद्धति से किये जायेंगे :-

21.1 विकसित किये गये सभी नये एवं पुराने मार्केट का आंवटन सर्वेक्षण में अंकित पथ विक्रेताओं के मध्य ही वितरित किया जायेगा ।

21.2 विकसित किये गये सभी नये एवं पुराने मार्केट के कुल दुकानों की संख्या में 75% दुकान पूर्व से उस वार्ड में लगा रहे पथ विक्रेताओं तथा उसी संबंधित वार्ड के निवासी जो पथ विक्रेता के रूप में चिन्हित हैं, के लिए आरक्षित होगा । शेष 25% दुकान सर्वेक्षण के अनुसार तैयार की गई सर्वेक्षण सूची में अंकित पथ विक्रेताओं के लिए आरक्षित होगा ।

21.3 सर्वेक्षण के दौरान या अन्य प्रारूप में पथ विक्रेताओं से उनकी वरीयता क्रम में दुकान आंवटन हेतु लिखित आवेदन की मांग की जायेगी जिसमें उनके आवासीय वार्ड में दुकानों की अनुपलब्धता में किन-किन वार्ड में जाने हतु इच्छुक होंगे वैसे पांच वार्ड का नाम मांगते हुए वरीयताक्रम तैयार कर ली जायेगी । पथ विक्रेता के आवासीय वार्ड में दुकानो की अनुपलब्धता में, उनके द्वारा दी गई सहमति के वार्ड में दुकान आवंटित करने का कार्य किया जायेगा । यहां भी दुकान का आवंटन लॉटरी विधि से ही दिये जायेंगे। लॉटरी कम्प्युटर के द्वारा आधुनिक तकनीक से किया जायेगा ।

21.4 मार्केट के आवंटन का कार्य सबसे पहले शहर के मुख्य बाजारों का होगा । मुख्य बाजारों में भी जिसका आकार बड़ा होगा, उसका आंवटन सबसे पहले होगा । उसके बाद शहर के प्रमुख छोटे मार्केटों का आवंटन होगा । यहां दुकान का आवंटन लॉटरी विधि से किये जायेंगे ।

21.5 मुख्य बाजारों के आंवटन के बाद वार्डवार दुकानों का आवंटन होगा । वार्ड में अगर दो मार्केट चिन्हित एवं विकसित किये गये हों तो जिसका आकार बड़ा होगा उसका आंवटन सबसे पहले होगा उसके बाद उसी वार्ड के उससे छोटे मार्केट का आवंटन होगा। यहां भी दुकान का आवंटन लॉटरी विधि से ही किये जायेंगे ।

21.6 यदि सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित सूची में अंकित सभी पथ विक्रेताओं को दुकानों की कमी के कारण दुकान आवंटित नही किये जाते हैं तो उन्हे प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा तथा नये मार्केट विकसित करने एवं दुकानों की संख्या के अनुसार उपलब्ध होने पर वरीयता क्रम में दुकान प्राथमिकता के आधार पर आंवटित किए जायेगे । यहां भी दुकान का आवंटन लॉटरी विधि से ही दिये जायेंगे ।

अध्याय-VII

विक्रय समय निर्धारण हेतु आंवटन की रीतिएवं बरती जाने वाली सावधानियां

22.0 किसी खास स्थान जहां सामान्य अवधि से अलग समय निर्धारण करने की स्थिति में विक्रय समय के निर्धारण हेतु आंवटन की रीति एवं बरती जाने वाली सावधानियां-

22.1 नगर विक्रय समिति, स्थान विशेष पर ग्राहकों की आवक संख्या, समय एवं स्थान की उपलब्धता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं के समय का निर्धारण करेगी। यदि मुख्य बाजार बंद होने के पश्चात्, पथ विक्रेताओं के लिए किसी स्थान विशेष में सामानों के विक्रय की संभावना है तो उस स्थिति में नगर विक्रय समिति, महिला विक्रेताओं की सुरक्षा संबंधी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए विक्रय के समय का निर्धारण करेगी ।

22.2 विक्रय के लिए समय का आवंटन करने के दौरान महिला एवं पुरूष विक्रेता के साथ ऐसे आंवटन के संबंध में नियम एवं मापदण्ड में कोई भेदभाव किये बिना समान रूप से व्यवहार किया जायेगा ।

22.3 किसी अन्य विक्रय प्रक्षेत्र में विक्रेताओं की संख्या उपलब्ध स्थान की तुलना में अधिक है तो ऐसी परिस्थिति में विक्रेताओं को अलग-अलग पाली में विक्रय करने हेतु समय आंवटित किया जा सकेगा । इससे अधिक संख्या में विक्रेताओं को उनके आजीविका संवर्द्धन हेतु मार्केट मिल सकता है ।

22.4 शहर के ऐसे विक्रय प्रक्षेत्र जहां पूर्व से ही मुख्य बाजार के खुलने के पूर्व पथ विक्रेताओं के द्वारा विक्रय किया जाता रहा है, वहां विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निदेशित किया जायेगा कि मुख्य बाजार खुलने के निर्धारित समय के आधे घंटे पूर्व ही स्थान खाली करें । पथ विक्रेताओं के द्वारा ही ऐसे विक्रय प्रक्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी ।

23.0 वेण्डर मार्केट के अन्दर पथ विक्रेता द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां :-

23.1 पथ कारोबार विक्रेता आपत्तिजनक, खतरनाक एवं प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थो को नहीं बेचेगा । यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्पाद की गुणवत्ता एवं जनता को उपलब्ध कराई गई सुविधा निर्धारित जन स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षा और सुरक्षा के मानकों के अनुरूप हो ।

23.2 पथ विक्रेता जनता एवं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये किसी प्रकार का शोर-शराबा या किसी वाद्य यंत्र का वादन या संगीत का गायन नहीं करेगा ।

23.3 पथ विक्रेता किसी प्रकार की अनधिकृत/अवैध गतिविधि नहीं चलाएगा । पथ विक्रेता को स्थानीय प्रशासन के द्वारा तैयार किये गये मानदण्ड तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

23.4 कोई भी पथ विक्रेता अपने पथ विक्रेता स्थल पर किसी प्रकार की पक्की (अस्थाई या स्थाई) सरंचना खड़ी नहीं करेगा । वह केवल चल मदों (जैसे छाता, तिरपाल, परदा, ठेला इत्यादि) लगा सकता हैं, जो तत्काल हटाये जा सकेंगे ।

23.5 पथ विक्रेता सार्वजनिक भूमि पर कब्जा नहीं करेगा और अनुमत्त सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा।

23.6 पथ विक्रेता किसी प्रकार से पैदल पथिकों और यातायात के निर्बाध आवागमन में बाधा नहीं डालेगा । पथ विक्रेता सड़क/गली (यदि पथ कारोबार किसी गली से किया जाना) किनारे से कारोबार करेगा और यातायात या पैदल पथिकों या गैर मोटरीकृत वाहनों के निर्बाध आवागमन में किसी प्रकार की बाधा का कारण नहीं बनेगा । वह सुनिश्चित करेगा कि उसके ग्राहक उसके पथ स्थल के समीप अनधिकृत पार्किंग न करें ।

23.7 पथ विक्रेता फेरी/पथ विक्रय लगाने के समय का पालन करेगा/करेगी । वह विक्रय समय के बाद पथ स्थल पर साज सामान और माल नहीं छोडेगा । पथ कारोबार बंद करने से पहले पथ विक्रेता अपने पथ स्थल से या आसपास सारा कूड़ा-कचरा साफ करेगा और सारी वस्तुए प्रतिस्थापन, स्टैण्ड, तख्त उखाड़ कर ले जाएगा ।

23.8 पथ विक्रेता खतरनाक एवं प्रदूषण फैलाने वाले मद नहीं बेचेगा ।

23.9 पथ विक्रेता किसी प्रकार की अवैध/अनधिकृत गतिविधि नहीं चलाएगा और पथ विक्रय स्थल पर किसी अनधिकृत पथ विक्रेता के माध्यम से कोई वस्तु नहीं बेचेगा । वह पथ विक्रय स्थल को किसी अन्य को भाड़े पर नहीं देगा ।

23.10 यदि पथ स्थल सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं, तो पथ विक्रेता आपातिक स्थिति में सुरक्षा कारणों के आधार पर पथ खाली कर देगा ।

23.11 पथ विक्रेता सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा । यदि पथ विक्रय के दौरान अवहेलना के परिणामस्वरूप सरकारी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाई गई है तो पथ विक्रेता अपने खर्चे से क्षति की तत्काल मरम्मत करेगा ।

23.12 पथ स्थल पर खाद्य सामग्री बेचने वाले पथ विक्रेता को स्थानीय प्राधिकरण के लाइसेंस विनियमों के उपबन्धों को आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए ।

23.13 किसी प्रकार का विद्युत/जल संयोजन अनुमति नहीं होगी। पथ विक्रेता पथ विक्रय परिसरों को प्रकाशमान करने के लिये रिन्यूवल/ बैटरी संचालित व 6x4 फीट से ज्यादा स्थान उपयोग नही कर सकता है तथा किसी एक स्थान पर 30 मिनट से अधिक अवधि के लिये नहीं रूकेगा । पथ विक्रेता गैर पथ विक्रय जोन में खड़ा होकर बिक्री नहीं करेगा । एक दिन में अधिकतम् 4 विक्रय जोन से ज्यादा में नही जायेगा। चलन्त पथ विक्रेता एक जोन मे अधिकतम् 3 घंटे तक ही रूक सकता है । उच्च विक्रय जोन तथा औसत विक्रय जोन मिलाकर कुल 04 विक्रय जोन का चुनाव कराया जायेगा जिसमें उच्च विक्रय जोन एक ही हो सकता है । प्रत्येक जोन में एक साथ कितने चलन्त पथ विक्रेता अपने सामगी बेच सकते हैं, यह बाजार के आकार पर निर्भर करेगा । किसी भी विक्रय जोन में सुविधाओं तथा पार्किंग आदि को छोडने के उपरान्त जो जमीन शेष बचेगा उसके 70% परिक्षेत्र में स्थिर पथ विक्रेताओं तथा 30% पर चलन्त दुकानों के लिए आंवटित होगा । चलन्त पथ विक्रेता, स्थिर पथ विक्रेता हेतु चिन्हित भूमि/दुकान पर नही जायेगा ।

23.14 विक्रय स्थल के सामने पैदल पथिकों के लिये कम से कम (एक) 01 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ेगा ।

23.15 पथ विक्रेता स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय का पालन करेगा ।

23.16 पथ विक्रेता नाले, सड़क के किनारे खुले स्थानों या किसी अन्य अनधिकृत स्थान पर कूड़ा-कचरा नहीं डालेगा ।

अध्याय-VIII

शुल्क प्रभार एवं अर्थदण्ड

24.0 विक्रेताओं से संग्रहित किये जाने वाले विक्रय शुल्क के निर्धारण के लिये आधार :

क० स०	निगम/ नगरीय निकाय	शुल्क स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा । यह शुल्क राज्य के शहरी सम्पति कर हेतु पथवार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तय किया जायेगा । शुल्क के संबंध में विभाग या निकाय स्तर पर इस आशय में समय-समय पर किये जाने वाले	बाजार की स्थिति	विक्रेता का श्रेणी
1. 2. 3.	नगर निगम नगर परिषद् नगर पंचायत		दैनिक बाजार, सप्ताहिक बाजार, मुख्य बाजार, एवं उच्च विक्रय क्षेत्र मौसमी मेले	लम्बी अवधि से एक ही स्थान पर बैठने वाले पथ विक्रेता, घुमंतु पथ विक्रेता, मौसमी पथ विक्रेता एवं सप्ताहिक

		संशोधनों के फलस्वरूप होने वाले बदलाव स्वतः लागू होगें । शुल्क का निर्धारण निम्नवत् होगा :- • स्थिर श्रेणी के पथ विक्रेताओं को संपत्ति कर हेतु निर्धारित गणना की राशि का 10 प्रतिशत देय होगा। गणना की राशि वार्षिक होगी तथा मासिक रूप में देय होगा । • चलन्त पथ विक्रेता हेतु संपत्ति कर हेतु निर्धारित गणना की राशि का 7 प्रतिशत देय होगा। गणना की राशि वार्षिक होगी तथा मासिक रूप में देय होगा । • मौसमी पथ विक्रेता एवं साप्ताहिक बाजार करने वाले विक्रेता हेतु संपत्ति कर हेतु निर्धारित गणना की राशि का 15 प्रतिशत देय होगा। गणना की राशि वार्षिक होगी तथा दैनिक रूप में देय होगा । • उच्च विक्रय क्षेत्रों में अन्य बाजारों के अपेक्षाकृत 25% अधिक शुल्क भी लिया जायेगा। जिसका निर्धारण निकाय स्तर से करते हुए निदेशालय से सहमति के उपरान्त लागू कर पायेंगे ।		बाजार करने वाले बिक्रेता

25.0 विक्रय शुल्क संग्रहित करने की रीतिः

25.1 प्रत्येक नगर विक्रय समिति (टाउन वैंडिंग कमिटि) के पास एक बैंक, खाता होगा जो राष्ट्रीकृत शाखा में ही संधारित होगा । इसके संचालन का निर्धारण नगर विक्रय समिति के दो पदाधिकारी करेंगे जिसमें एक अधिकारी सरकारी सेवक एवं एक वैंडर का चयनित

प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से होंगे । खाता का संचालन दो लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगें लेकिन एक सरकारी अधिकारी अवश्य होगें। यदि आपस में सहमति नही बनती है तो संबंधित नगर निकाय के शीर्षस्थ अधिकारी (Head of Institution) का निर्णय मान्य होगा ।

25.2 नागरिक सेवाओं तथा पार्किंग स्थानों के दुरूपयोग के कारण विक्रय शुल्क, प्रभार तथा दण्ड के माध्यम से प्राप्त राशि हो सकती है । ऐसी जमा राशि का विवरण विहित प्रारूप में अभिलिखित

किया जाना होगा तथा टाउन वेंडिग समिति के लोगों को समय-समय पर राशि की स्थिति से अवगत कराना होगा । इस प्रकार की राशि का खर्च पथ विक्रेताओं के लिए सुविधा बढ़ाने तथा उनके कल्याण आदि में खर्च किया जायेगा ।

25.3 खाता का वार्षिक अंकेक्षण नगर विक्रय समिति द्वारा किया जायेगा ।

25.4 संबंधित प्राधिकारी शुल्क प्रभार एवं संग्रहण के लिये अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र है ।

अध्याय -IX

विक्रय प्रमाण पत्र की वैधता, नवीनीकरण, निरस्तीकरण एवं निलंबन

26.0 **विक्रय- प्रमाण पत्र की वैधता :-**

26.1 जारी करने के वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के लिए विक्रय प्रमाण-पत्र वैध रहेगा एवं अंतिम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक वैधता रहेगी ।

26.2 3 वर्ष के बाद निर्धारित विक्रय शुल्क जमा करने पर विक्रय-पत्र का नवीनीकरण कराया जा सकता है अथवा नया सर्वेक्षण पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से कराया जायेगा ।

26.3 विक्रेता के किसी अन्य शहर/विक्रय प्रक्षेत्र (जोन) पर चले जाने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में संबंधित विक्रय प्रमाण-पत्र स्थानीय निकाय का सौंपा जाना चाहिए ।

27.0 **विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण की रीति एवं समयावधिः-**

27.1 तीन वर्ष की समाप्ति पर विक्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात् विक्रय प्रमाण-पत्र की अवधि को आगामी तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी यदि उस जोन में पुनः सर्वेक्षण नही कराया जा रहा है ।

27.2 विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिये प्रभावित की जाने वाली शुल्क, विक्रेता द्वारा विक्रय किये जा रहे सामग्री तथा स्थान की व्यावसायिक स्थिति के आधार पर
निर्धारित किया जायेगा । उच्च विक्रय स्थान वाले पथ विक्रेताओं को सामान्य की तुलना में 25% अधिक शुल्क देकर नवीनीकरण कराना होगा ।

27.3 शुल्क का निर्धारण स्थानीय नगर निकाय के बोर्ड द्वारा तय की जायेगी । नगर निक्रय समिति के अनुशंसा के आलोक में तय किया जायेगा जो समय-समय पर संशोधित किया जायेगा ।

28.0 **विक्रय प्रमाण-पत्र के निलंबित या रदद् करने की रीतिः**

विक्रय प्रमाण-पत्र निम्नलिखित कारणों से निरस्त या निलंबित किया जा सकता है :-

28.1 यदि विक्रय निर्धारित विक्रय प्रक्षेत्र में नही किया जाता है;

28.2 यदि विक्रेता उसको आंवटित विक्रय प्रक्षेत्र, आंवटित स्थान से परे दूसरे स्थान पर अवैध रूप से कब्जा करता है अथवा आंवटित विक्रय प्रक्षेत्र, आंवटित स्थान से परे अपना सामान फैलाता है या अवैध स्थायी अथवा अस्थायी संरचना निर्मित करता है;

28.3 यदि विक्रेता उसको आंवटित विक्रय प्रक्षेत्र पर चेतावनी के बावजूद कचरा या गंदगी फैलाता है;

28.4 यदि विक्रेता स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित नियमों की अवेहलना करता है,

28.5 यदि विक्रेता स्थानीय नगरीय निकाय की अनदेखी या यातायात को बाधा पंहुचाने का प्रयास करता है;

28.6 यदि विक्रेता विहित समय सीमा के भीतर स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित विक्रय शुल्क भुगतान करने में विफल होता है;

28.7 पथ विक्रेता द्वारा मानक से विरूद्ध प्लास्टिक/पॉलीथीन कैरी बैग का उपयोग करते पाये जाने की स्थिति में;

28.8 पथ विक्रेता द्वारा स्वच्छता संबंधी मानको का पालन नही किये जाने की स्थिति में;

28.9 यदि बाल श्रम (प्रतिवबंध एवं उपविधि विनियम) अधिनिनियम ,2006 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुये पथ विक्रता द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में रख गया हो;

28.10 यदि विक्रेता अन्य विक्रेताओं से दुर्व्यवहार/छेड़खानी करता हो,

28.11 यदि विक्रेता अपने व्यवसाय के संचालन में किसी भी प्रकार का अवैध/अनैतिक व्यवसाय करते पाया जाता है;

28.12 यदि विक्रेता मादक या नशीला या विस्फोटक सामग्री का विक्रय करता हो;

28.13 नगर विकास एवं आवास विभाग अथवा स्थानीय नगर निकाय के किसी निदेश का उल्लंघन प्रमाणित पाया जाय;

28.14 विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने की स्थिति में विक्रेता पहचान पत्र भी स्वतः रद्द हो जायेगा;

29.0 पथ विक्रेता का पहचान पत्र एवं विक्रेता प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया

29.1 **बेदखल करने के लिए नोटिस दिये जाने की रीति :-**

29.1.1 पथ विक्रेताओं के विक्रेता प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा 30 दिनों की नोटिस जारी करनी होगी;

29.1.2 बेदखली की सूचना तथा जिसमें ऐसे बेदखली से प्रभावित होने वाले सभी पथ विक्रेताओं के नाम शामिल होंगे, स्थानीय नगरीय निकाय के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा ;

29.1.3 बेदखली के 48 घंटे पूर्व, निकाय द्वारा अंतिम सूचना पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रक्षेत्र में जाकर दी जायेगी ।

29.2 **सूचना अवधि के भीतर रिक्त करने में विफल रहने की स्थिति में बेदखल करने की रीति :-**

29.2.1 अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत नोटिस देने की अवधि पूर्ण होने पर, विक्रेताओं को बलपूर्वक बेदखल किया जा सकेगा;

29.2.3 बेदखल करने के दौरान, स्थानीय निकाय पुलिस की सहायता प्राप्त करेगा ;
बेदखली के साथ विक्रेताओं पर अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा तथा इसका मूल्य उसके द्वारा विक्रय हेतु रखे गये सामानों के मूल्य से अधिक नही होगी ;

29.2.4 विक्रताओं या उनके साथियों द्वारा प्राधिकारियों का बलपूर्वक प्रतिरोध करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रांरम्भ किया जायेगा ।

अध्याय X
विक्रय प्रक्षेत्रों का सहभागिता/शेयरिंग

30.0 विक्रय क्षेत्र करने के समय के आंवटन की रीति

30.1 नगर विक्रय समिति, स्थान की उपलब्धता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं के समय का निर्धारण करेगी ;

30.2 नगर विक्रय समिति, महिला विक्रेताओं की सुरक्षा संबंधी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए विक्रय के समय का निर्धारण करेगी ;

30.3 विक्रय के लिए समय का आवंटन करने के दौरान महिला एवं पुरूष विक्रेता के साथ ऐसे आंवटन के संबंध में नियम एवं मापदण्ड में कोई भेदभाव किये बिना समान रूप से व्यवहार किया जायेगा ;

30.4 विक्रय प्रक्षेत्र में विक्रेताओं की संख्या उपलब्ध स्थान की तुलना में अधिक है तो ऐसी परिस्थिति में विक्रेताओं को अलग-अलग पाली में विक्रय करने हेतु समय आंवटित किया जा सकेगा । इससे समस्त विक्रेताओं को उनके आजीविका संवर्द्धन में तथा विक्रय प्रक्षेत्र में स्वच्छता में तथा विक्रय प्रक्षेत्र में स्वच्छता मानक संधारित करने में
समान अवसर उपलब्ध होगा । अनुमत्त पथ विक्रय की संख्या टाइम शेरिंग व्यवस्था द्वारा ज्ञात हो सकेगी और इसी प्रकार कितनी पथ विक्रय हेतु लगाई जा सकेगी, ज्ञात किया जाएगा;

30.5 शहर ऐसे विक्रय प्रक्षेत्र जहां पूर्व से ही मुख्य बाजार के खुलने के पूर्व पथ विक्रेताओं के द्वारा विक्रय किया जाता रहा है वहां विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निदेशित किया जाना होगा कि मुख्य बाजार खुलने के निर्धारित समय के आधे घंटे पूर्व ही स्थान खाली करें। पथ विक्रेताओं के द्वारा ही ऐसे विक्रय प्रक्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी;

अध्याय -XI

प्रतिबंधित रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिंबधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र के निर्धारण

31.0 प्रतिबंधित रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिंबधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र के निर्धारण हेतु सिद्धांत :-

31.1 नगर विक्रय समिति प्रतिबंधित रहित प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र औरपूर्ण विक्रय प्रक्षेत्र का निर्धारण करेगा । समय-समय पर नगर विक्रय समिति द्वारा नये प्रतिबंधित रहित प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र और विक्रय प्रक्षेत्र की संशोधित सूची प्रकाशित करेगी जिसका आधार भूमि की उपलब्धता, नये मार्केट का उद्भव, नये कॉलोनियों का विकास आदि होगा । सरकार नीतिगत निर्णय लेकर भी संशोधित सूची जारी कर सकती है जिसके तहत विद्यमान बाजार को हटाने तथा नये प्रक्षेत्र विकसित करने की सूची होगी ;

31.2 प्रतिबंध रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र का निर्धारण करते समय, यातायात एवं परिवहन संचालन को ध्यान में रखा जायेगा ;

31.3 मुख्य पथों से सटकर कोई भी पथ विक्रेता अपना दुकान नही लगायेंगे । निकाय इस हेतु वेडिंग जोन घोषित करेगी और उन्ही घोषित जोन में दुकान लगाने की अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर दुकान लगाना अवैध होगा । अवैध स्थानों पर दुकान लगाने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी ।

अध्याय-XII

विक्रेताओं का स्थानान्तरण एवं पुनर्वासन

32.0 विक्रेताओं का स्थानान्तरण एवं पुनर्वासन का सिद्धान्तः-

32.1 जब तक कि किसी जगह की तत्काल आवश्यकता नही हो यथा संभव विक्रेताओं के स्थानांतरण को प्रतिबंधित किया जायेगा । परन्तु किसी भी परिस्थिति में पथ विक्रेता उसी स्थान पर बने रहने के लिए दावा नही कर सकते हैं;

32.2 जब पुनर्वास की योजना बनायी जा रही हो तथा क्रियान्वित की जा रही हो तब प्रभावित विक्रेताओं तथा उनके प्रतिनिधियों पर विचार किया जा सकेगा;

32.3 स्थानांतरित विक्रेताओं को उनके जीवन स्तर के संवर्धन के लिए अवसर दिया जायेगा ताकि विक्रेता नवीन पुनर्वास योजना के अंतर्गत अवसर प्राप्त कर सके;

32.4 राज्य अपने आर्थिक मानदण्ड के अनुसार विक्रेताओं को बलपूर्वक बेदखल किये जाने को विनियमित करेगा तथा उसकी जांच करेगा;

33.0 अवसंरचना सुधार, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा वित्त सहायता ।

33.1 राज्य सरकार के द्वारा तैयार किये गये वेंण्डर मार्केट में मूलभूत सेवाओं के सुधारने के लिये सहयोग उपलब्ध करना जैसे शौचालय, कूड़ा कचरा निपटान सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक भण्डारण, विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिये विशिष्ट ठेले, पथ विक्रेताओं अन्य ग्राहकों के साथ परामर्श करके अस्थाई शेड और पार्किग सुविधाएं समय-समय पर किये जायेंगे । इस हेतु जरूरत के अनुसार पथ विक्रेताओं से न्यूनतम शुल्क का निर्धारण संबंधित निकाय नियमानुसार उचित प्रक्रिया अपनाते हुए वसूल करेगा ।

33.2 स्थानीय निकाय सभी पथ विक्रेताओं के अधिकारों एव दायित्व और पथ विक्रेताओं से सम्बन्धित नीतियां, कानूनों एवं योजनाएं, खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य का रखरखाव, कूडा कचरा निपटाना जैसे पहलुओं पर पथ विक्रेताओं को अनुकूल बनाने के उद्देष्य से सभी पथ विक्रेताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा ।

33.3 किसी प्रशिक्षण संस्थान/विशिष्ट अभिकरण/ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था की जा सकती है ।

33.4 किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग लेने वाले पथ विक्रेताओं को दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा । दैनिक भत्ता सरकार के द्वारा क्षेत्र विशेष हेतु तय किये मानक के अनुरूप ही देय होगा ।

अध्याय-XIII

34.0 प्रतिबंधित रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिंबधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र के निर्धारण हेतु सिद्धांत :-

34.1 प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र, ऐसे स्थान होंगे जहां विक्रेता, एक निश्चित समयवधि में कार्य करेगा तथा उस अवधि के पश्चात्, विक्रेताओं द्वारा जोन को खाली करना होगा। स्थानीय नगरीय निकाय, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर विक्रय संबंधी निर्देशों/जानकारियों को सूचना पटल पर उसे चस्पा किये जायेंगे, जैसे कि :

34.1.1 प्रतिदिन विक्रय किये जाने का समय;

34.1.2 साप्ताहिक बाजारों में विक्रय किये जाने का समय ।

34.2 प्रतिबंधित रहित विक्रय प्रक्षेत्र, ऐसे स्थान होंगे जहां विक्रेता अपनी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सकते हैं, तथापि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जैसे कि :-

34.2.1 स्वच्छता मानकों का संधारण;

34.2.2 अवैध एवं अनैतिक व्यवसाय का प्रतिषेध एवं विनियम;

34.2.3 आवंटित स्थान में ही विक्रय कार्य ;

34.3 गैर विक्रय प्रक्षेत्र, ऐसे स्थान होंगे जहां विक्रय कार्य किया जाना पूर्णत/ वर्जित (प्रतिबंधित) होगा ।

34.4 नगर विक्रय समिति प्रतिबंधित रहित प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र और विक्रय प्रक्षेत्र का निर्धारण करेगा ।

34.5 प्रतिबंध रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र का निर्धारण करते समय, यातायात एवं परिचहन संचालन को ध्यान में रखा जायेगा ।

विक्रेताओं का स्थान परिवर्तन

35.0 विक्रेताओं का स्थान परिवर्तन

निम्नलिखित कारण से लोकहित में विक्रेताओं का स्थान परिवर्तन किया जायेगाः-

35.1 यदि यातायात सुविधाजनक एवं सुचारू रूप से संचालन न होता हो ;

35.2 यदि विक्रय प्रक्षेत्र संकरे मार्ग में हो;

35.3 सड़क चौड़ीकरण किये जाने की स्थिति में ;

35.4 मास्टर प्लान का उल्लंघन होने की स्थिति में ;

35.5 सुरक्षा की दृष्टि से अतिविशिष्ट या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास स्थान के आसपास,

35.6 सड़क के किनारे जहां विक्रय प्रक्षेत्र है यदि उन स्थानों पर टेलीफोन लाईन, विद्युत लाईन, जल आपूर्ति हेतु नाली निर्माण, सौन्दयीकण प्रस्तावित हो और यदि सरकारी भूमि के अन्य उपयोग हेतु खाली कराया जाता हो ।

36.0 विक्रेता को निम्नांकित स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा नगर विक्रय समिति के पूर्व बेदखल किया जा सकेगा -

36.1 यदि विक्रेताओं द्वारा शहर के किसी भाग की भूमि पर कब्जा किया जाता है जिसमें उसका आंवटित विक्रय प्रक्षेत्र अवस्थित नही है;

36.2 यदि कोई विकास कार्य शासन या स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित किया जाता है ;

36.3 यदि कोई विकास द्वारा यातायात प्रणाली को बाधित किया जाता है ;

36.4 यदि विक्रेता कचरा या गंदगी फैलाता हो;

36.5 यदि विक्रेता कचरा फेंकते हुये और क्षति पहुंचाते हुये जल से संबंधित पाईप लाईन या विद्युत लाईन को बाधित करता है;

36.6 यदि विक्रेता अपने व्यवसाय का संचालन में अवैध या अनैतिक क्रियाकलाप में लिप्त रहता है;

36.7 यदि विक्रेता किसी न्यायालय में किसी अपराध के मामले में दोष सिद्ध पाया जाता है;

36.8 यदि विक्रेता किसी व्यक्ति या ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करता है ;

36.9 अन्य पथ विक्रेता हेतु पृथक निर्मित या उपलब्ध विक्रय प्रक्षेत्र होने की स्थिति में ;

36.10 विक्रेता द्वारा बिना किसी वैध विक्रय प्रमाण-पत्र के विक्रय कार्य करते पाये जाने की स्थिति में;

36.11 विक्रेता द्वारा विक्रय प्रमाण-पत्र या परिचय पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में;

36.12 स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रेता को दुकान/गुमटी आंवटित किए जाने की स्थिति मे;

36.13 50% या उससे अधिक विक्रेताओं द्वारा किसी एक विक्रेता की शिकायत किये जाने की स्थिति में;

36.14 विभागीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त स्थल की आवश्यकता होने के स्थिति में ।

37.0 विक्रेताओं को बेदखल करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाया जायेगा :-

37.1 विक्रेताओं को स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा 30 दिनों की नोटिस जारी करनी होगी;

37.2 बेदखली की सूचना तथा जिसमें ऐसे बेदखली से प्रभावित होने वाले सभी पथ विक्रेताओं के नाम शामिल होंगे, स्थानीय नगरीय निकाय के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा;

37.3 बेदखली के 48 घंटे पूर्व, निकाय द्वारा अंतिम सूचना पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रक्षेत्र में जाकर दी जायेगी;

38.0 सूचना अवधि के भीतर रिक्त करने में विफल रहने की स्थिति में बेदखल करने की रीति :-

38.1 अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत नोटिस देने की अवधि पूर्ण होने पर, विक्रेताओं को बलपूर्वक बेदखल किया जा सकेगा;

38.2 बेदखल करने के दौरान, स्थानीय निकाय पुलिस की सहायता प्राप्त करेगा ;

38.3 बेदखली के साथ विक्रेताओं पर अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा तथा इसका मूल्य उसके द्वारा विक्रय हेतु रखे गये सामानों के मूल्य से अधिक नही होगी ;

38.4 विक्रताओं या उनके साथियों द्वारा प्राधिकारियों का बलपूर्वक प्रतिरोध करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रांरम्भ किया जायेगा ।

अध्याय-XIV
वस्तुओं (सामानों) की जब्ती

39.0 स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा सामानों को जब्त किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्तें :-

अधिनियम की धारा 19 के अतंर्गत स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रेताओं के सामानों को जब्त किये जाने तथा सामानों की सूची तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

39.1 सामानों की क्षति रोकने के लिए सभी संभव प्रयास करना होगा;

39.2 खाद्य सामग्री को प्रदूषित होने से बचाने के लिये सभी संभव प्रयास करना होगा, यदि ऐसी कोई सामगी जब्त किया जाता है ;

39.3 टूटने वाली प्लास्टिक के सामानों की क्षति रोकने के लिए सभी संभव प्रयास करना होगा ;

39.4 विनश्वर सामग्री (फल/फूल/सब्जियों/मांस/मच्छली इत्यादि) के खराब होने की स्थिति में स्थानीय नगरीय निकाय जवाबदेह नहीं होगा ;

39.5 स्थानीय नगरीय निकाय सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवाबदेह होगा;

39.6 जब्त सामानों की सूची छायाप्रति/कार्बन कॉपी, स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा विक्रेताओं को तत्काल प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा ।

40.0 जब्त सामानों को पुनः प्राप्त करने की रीति एवं शुल्क

40.1 स्थानीय नगरीय निकाय, जब्त सामानों को विक्रेताओं को अर्थदण्ड के भुगतान करने पर वापस किया जायेगा ;

40.2 कार्यालीय समय में अर्थदण्ड के भुगतान करने पर नश्वर/नाशवान प्रकृति के सामग्री को वापस किया जायेगा ;

40.3 जहां नश्वर/नाशवान प्रकृति की सामगी का विक्रेता सामानों को पुनः वापस लेने में विफल रहता है तो ऐसा जब्त सामान की ऐसी रीति में निराकरण करना होगा जिससे स्वच्छता मानकों का अनुपालन हो जाए ।

अध्याय-XV

सामाजिक अंकेक्षण

41.0 नगर विक्रय समिति की गतिविधियों के सामाजिक अंकेक्षण की रीति एवं प्रपत्र (परिशिष्ट चार एवं पांच)

41.1 सामाजिक अंकेक्षण नगर विक्रय समिति के गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु आयोजित किया जायेगा ।

41.2 सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक शहर के प्रमुख विक्रय प्रक्षेत्र तथा प्राकृतिक बाजारों का सूची तैयार किया जायेगा ।

41.3 सामाजिक अंकेक्षण के लिये शहर के संबंधित विक्रय प्रक्षेत्र तथा प्राकृतिक बाजारों में विक्रेताओं की सूची का तैयार किया जायेगा ।

41.4 इन विक्रय प्रक्षेत्रों एवं बाजारों में से 10% विक्रेताओं का चयन किया जाना है परन्तु अधिकतम संख्या 20 होगी ।

41.5 10% विक्रेताओं का चयन रेन्डम सैंपलिंग के माध्यम से किया जायेगा ।

41.6 रेन्डम सैंपलिंग के माध्यम से 20 प्रमुख बाजारों तथा विक्रय प्रक्षेत्र का चयन किया जाना ।

41.7 बाजारों के चयन के पश्चात् विक्रेताओं तथा चयनित बाजार में आने वाले विक्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक अंकेक्षण डेटा संग्रहित करना (परिशिष्ट चार एवं पांच)।

41.8 प्राप्त जानकारी का डेटावेस नगर वैंडिंग समिति द्वारा तैयार किया जायेगा ।

41.9 डेटाबेस में प्राप्त जानकारी के आधार पर नगर वैंडिंग समिति द्वारा कमियों में आवश्यक सुधार किये जायेगें ।

42.0 **शर्तें जिसके अधीन निजी स्थानों को प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधितक्षेत्र एवं गैर विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में अभिहित किया जा सकेगा :-**

42.1 भू-स्वामी एवं स्थानीय नगरीय निकाय के मध्य लिखित अनुबंध द्वारा किसी संस्थान की खाली जमीन को भी प्रक्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है । अनुबंध में विक्रय अवधि एवं शुल्क भी विनिर्दिष्ट होंगे ।

42.2 भूमि स्वामी एवं स्थानीय नगरीय निकाय के विक्रेता के मध्य लिखित अनुबंध द्वारा किसी संस्थान की खाली जमीन को भी विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अनुबंध में विक्रय अवधि एवं शुल्क भी विनिर्दिष्ट होंगे ।

अध्याय XVI

राज्य नोडल अधिकारी की पदस्थापन एवं कार्य

43.0 योजना के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य नोडल अधिकारी की पदस्थापन:-

43.1 राज्य नोडल अधिकारियों को योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु नामित करने के लिए पदस्थापित किया जायेगा ।

43.2 इस प्रकार राज्य नोडल अधिकारी की पदस्थापना, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक से निम्न श्रेणी का नही होगा ।

43.3 राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुद्दों एवं योजना के विकास पर विचार विमर्श करने हेतु प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित की जायेगी ।

43.4 विक्रेताओं की समस्याओं को सुलझाने हेतु नोडल अधिकारी द्वारा अनुशंसा नगर विकास एवं आवास विभाग को किया जा सकेगा ।

44.0 नगर विक्रय समिति एवं स्थानीय नगर निकाय द्वारा दस्तावेजों के संधारण की रीतिः-

44.1 नगर विक्रय समिति तथा स्थानीय नगर निकाय विक्रेताओं से संबंधित दस्तावेजों का संधारण करेंगे ।

44.2 स्थानीय नगरीय निकाय उपलब्ध विक्रेताओं के सर्वेक्षण डाटाबेस बनायेगा ।

44.4 विक्रेताओं का डाटा वार्डवार एवं बाजारवार रखा जायेगा ।

44.5 विक्रेताओं के विक्रय प्रमाण-पत्र तथा परिचय पत्र को ऑन लाईन बनाने की व्यवस्था करेगा ।

44.6 स्थानीय नगरीय निकाय ऑन-लाईन रिकार्ड के संधारण के लिये साफ्टवेयर विकसित करने की अवधि में विक्रेताओं से संबंधित डाटा संधारित करेगा ।

45.0 विविध :-

45.1 राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित पथ विक्रेताओं के लिए प्रतिवर्ष पथ विक्रेता महोत्सव का आयोजन संबंधित नगर निकाय में किया जायेगा ।

45.2 स्वच्छता मानक तथा अन्य सहयोगात्मक कार्य करने वाले पथ विक्रेताओं को तैयार किये गये मापदण्डों के अनुरूप पुरस्कृत किया जायेगा ।

46.0 अवसंरचना सुधार, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा वित्त सहायता ।

46.1 राज्य सरकार के द्वारा तैयार किये गये वेंण्डर मार्केट में मूलभूत सेवाओं को सुधारने के लिये सहयोग उपलब्ध करना जैसे शौचालय, कूड़ा कचरा निपटान सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक भण्डारण, विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिये विशिष्ट ठेले, पथ विक्रेताओं, अन्य ग्राहकों के साथ परामर्श करके अस्थाई शेड और पार्किग सुविधाएं समय-समय पर किये जायेंगे । इस हेतु जरूरत के अनुसार पथ विक्रेताओं से न्यूनतम शुल्क का निर्धारण संबंधित निकाय नियमानुसार उचित प्रक्रिया अपनाते हुए वसूल करेगा ।

46.2 स्थानीय निकाय सभी पथ विक्रेताओं के अधिकारों एव दायित्व और पथ विक्रेताओं से सम्बन्धित नीतियां, कानूनों एवं योजनाएं, खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य का रखरखाव, कूडा कचरा निपटाना जैसे पहलुओं

पर पथ विक्रेताओं को अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सभी पथ विक्रेताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा ।

46.3 गरीबों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदि से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

46.3 किसी प्रशिक्षण संस्थान/विशिष्ट अभिकरण/ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था की जा सकती है ।

46.4 किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग लेने वाले पथ विक्रेताओं को दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा । दैनिक भत्ता सरकार के द्वारा क्षेत्र विशेष हेतु तय किये मानक के अनुरूप ही देय होगा ।

अध्याय-XVII

संशोधन

47.0 जब कभी आवश्यकता पड़ें, तब स्थानीय निकायों और नगर पथ विक्रेता समिति के साथ यथोचित परामर्श करने के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग पथ विक्रेता योजना (स्कीम) के किसी प्रावधान पर आवश्यक समाधान जारी करने हेतु सक्षम होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

शहरी पथ विक्रेताओं के योजना (स्कीम) से संबंधित अधिसूचना की अनुक्रमणिका

क्र० सं०	अध्याय एवं विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
	अध्याय-I **प्रारम्भिक**	
1	संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं विस्तार	**1**
2	योजना का उदेश्य	**1**
3	परिभाषाएं	**1-2**
	अध्याय-II **पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कराने की पद्धति**	
4	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण की रीति	**2-5**
	अध्याय-III **पथ विक्रेताओं का वर्गीकरण**	
5	पथ विक्रेताओं का वर्गीकरण, पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र निर्गत करने की पद्धति	**5**
6	पथ विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिये पथ विक्रेता पहचान पत्र जारी करना तथा उससे संबंधित पात्रता हेतु शर्ते	**6**
	अध्याय-IV **विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निर्गत करना**	
7	सर्वेक्षित विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण-पत्र वितरण करने की समय-सीमा-सर्वेक्षण पूर्ण होने की तिथि	**6**
8	विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्त्तें	**6-7**
9	विक्रय प्रमाण-पत्र के मापदण्ड, अतिरिक्त निबंधन एवं शर्त्तें और प्रपत्र	**7**
10	विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करने की रीति	**7**

11	स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा पथ विक्रेता को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करने के मापदण्ड	**7-8**
12	12.0 पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों का संधारण, रख-रखाव एवं उपयोग	**8**
13	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पथ विक्रेता पहचान पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र की वैधता एवं नवीनीकरण	**8-9**
14	पथ विक्रेता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की रीति एवं समयावधि	**9**
	अध्याय-V **पथ विक्रय से संबंधित क्षेत्र (स्थल) का निर्धारण, चिन्हितीकरण, निर्धारण एवं पथ विक्रेताओं का वर्गीकरण**	
15	सर्वेक्षण एवं निकायों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शहरी पथ विक्रेताओं हेतु कारोबार क्षेत्र (स्थल) का वर्गीकरण	**9**
16	विक्रय स्थल का चिन्हितीकरण	**10-12**
17	विक्रय क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं निर्धारण से प्राप्त आंकड़ों का संधारण,रख-रखाव एवं उपयोग	**12**
	अध्याय-VI **पथ विक्रेताओं हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं विकसित मार्केट के दुकानों के आंवटन की रीति/प्रक्रिया**	
18	चिन्हित स्थलों में विक्रय प्रक्षेत्रों हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास	**12.13**
19	विक्रय प्रक्षेत्र में शौचालय एवं मूत्रालयों का निर्माण एवं उपयोग की रीति	**13.14**
20	दूकानों के आंवटन हेतु पथ विक्रेताओं की श्रेणियां	**14**
21	आंवटन का प्रारम्भ होगा तथा आने वाले वर्षों में प्रचलित सर्वोत्तम वैज्ञानिक का उपयोग	**14.15**
	अध्याय-VII **विक्रय समय निर्धारण हेतु आंवटन की रीति एवं बरती जाने वाली सावधानियां**	
22	किसी खास स्थान में विक्रय समय के निर्धारण हेतु आंवटन की रीति एवं बरती जाने वाली सावधानियां	**15-16**
23	वेण्डर मार्केट के अन्दर पथ विक्रेता द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां	**16-17**
	अध्याय-VIII **शुल्क प्रभार एवं अर्थदण्ड**	
24	विक्रेताओं से संग्रहित किये जाने वाले विक्रय शुल्क के निर्धारण के लिये आधार	**17-18**

25	विक्रय षुल्क संग्रहित करने की रीति	**18**
	<u>अध्याय-IX</u> **विक्रय प्रमाण पत्र की वैधता, नवीनीकरण, निरस्तीकरण एवं निलंबन**	
26	विक्रय- प्रमाण पत्र की वैधता	**18**
27	विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण की रीति एवं समयावधि	**19**
28	विक्रय प्रमाण-पत्र के निलंबित या रदद् करने की रीति	**1-20**
29	पथ विक्रेता का पहचान पत्र एवं विक्रेता प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया	**20**
	<u>अध्याय-X</u> **विक्रय प्रक्षेत्रों का सहभागिता/शेयरिंग**	
30	विक्रय क्षेत्र करने के समय के आंवटन की रीति	**20-21**
	<u>अध्याय-XI</u> **प्रतिबंधित रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिंबधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र का निर्धारण**	
31	प्रतिबंधित रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिंबधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र के निर्धारण हेतु सिद्धांत	**21**
	<u>अध्याय-XII</u> **विक्रेताओं का स्थानान्तरण एवं पुनर्वासन**	
32	विक्रेताओं के स्थानान्तरण एवं पुनर्वासन को सिद्धान्त	**21.22**
33	अवसंरचना सुधार, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा वित्त सहायता।	**22**
	<u>अध्याय-XIII</u>	
34	प्रतिबंधित रहित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिंबधित विक्रय प्रक्षेत्र और गैर विक्रय प्रक्षेत्र के निर्धारण हेतु सिद्धांत	**22.23**
35	विक्रेताओं का स्थान परिवर्तन	**23**
36	विक्रेता को निम्नांकित स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा नगर विक्रय समिति के पूर्व बेदखल	**23.24**
37	विक्रेताओं को बेदखल करने हेतु प्रक्रिया	**24**
38	सूचना अवधि के भीतर रिक्त करने में विफल रहने की स्थिति में बेदखल करने की रीति	**24**
	<u>अध्याय-XIV</u> **वस्तुओं (सामानों) की जब्ती**	

39	स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा सामानों को जब्त किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्ते	**24**
40	जब्त सामानों को पुनः प्राप्त करने की रीति एवं षुल्क	**24-25**
	<u>अध्याय-XV</u> **सामाजिक अंकेक्षण**	
41	नगर विक्रय समिति की गतिविधियों के सामाजिक अंकेक्षण की रीति	**25**
42	शर्तें जिसके अधीन निजी स्थानों को प्रतिबंधित विक्रय प्रक्षेत्र, आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र एवं गैर विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में अभिहित किया जा सकेगा	**25**
	<u>अध्याय-XVI</u> राज्य नोडल अधिकारी का पदस्थापन एवं कार्य	
43	योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य नोडल अधिकारी का पदस्थापन	**25-26**
44	नगर विक्रय समिति एवं स्थानीय नगर निकाय द्वारा दस्तावेजों के संधारण की रीति	**26**
45	विविध	**26**
46	अवसंरचना सुधार, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा वित्त सहायता	**26-27**
	<u>अध्याय-XVII</u>	
47	संशोधन	**27**

परिशिष्ट "ख "

पथ विक्रेता के साथ उनको सहयोग करने वाले का समूह में फोटोग्राफ

झारखण्ड सरकार

पथ विक्रेता का विक्रय स्थल के साथ अगल-बगल के दो दुकानों का फोटो ग्राफ

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार

पथ विक्रेता प्रमाण पत्र

नगर विक्रेता समिति....., नगर निकाय ..... द्वारा निर्गत

निबंधन संख्या -..... प्रमाण पत्र संख्या-..... निर्गत तिथि-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... आधार न०.....पिता/पति ..... उम्र..... वर्ष, जन्म तिथि ...../...../.....स्थायी पता ..... थाना ..... पोस्ट ऑफिस..... वर्तमान पता ..... थाना ..... पोस्ट ऑफिस.....निकाय.....वार्ड संख्या..... जिला..... पिन कोड..... को, जिनका विक्रय स्थल/क्षेत्र .....(6X4 फीट आकार का). तिथि..... से तिथि.....तक होगा।

जिन्हें जीविकोपार्जन हेतु स्थिर/चलंत/मौसमी विक्रय व्यवसाय चलाने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी
निकाय का नाम.....

अध्यक्ष
नगर विक्रेता समिति

परिशिष्ट "ग"

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार

फुटपाथ विक्रेता पहचान

नगर विक्रेता समिति, ... द्वारा निर्गत

कार्ड संख्या - ..... निर्गत तिथि.....

निबंधन संख्या - .....

नाम :- .....

पिता/पति का नाम :- .....

जन्म तिथि/ उम्र :- .....

लिंग :- .....

वर्तमान पता :- .....

थाना :- .....

फुटपाथ विक्रेता का फोटो

हस्ताक्षर/बायां हाथ के अगूठे का निशान

फुटपाथ विक्रेता का

आगे का भाग

स्थायी पता : ग्राम- पोस्ट -

थाना- जिला -

पिन कोड : .....

आधार न० : .....

मोबाइल : .....

ब्लड ग्रुप : .....

विक्रय श्रेणी/प्रकार : .....

विक्रय स्थल एवं बाजार का नाम : .....

वार्ड संख्या : .....

प्राधिकृत हस्ताक्षर
नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त/
कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी
नगर निकाय का नाम.....

प्राधिकृत हस्ताक्षर
अध्यक्ष
नगर विक्रेता समिति

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त फुटपाथ विक्रेता नगर/निगम ..... द्वारा सत्यापित है|
This is to certify that the Member is a registered Town Vendor from .....

पहचान पत्र खो जाने पर तुरंत नजदीक के थाना मे सूचना दें।
इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया नगर निकाय को लौटाएं।

नगर निकाय का नाम _____

परिशिष्ट "घ "

जब्ती मेमो फॉर्म

पथ विक्रेता को जारी की जाएगी

निबंधन संख्या :- .....

नाम :- .....

पिता/पति का नाम :- .....

जन्म तिथि/ उम्र :- .....

लिंग :- .....

वर्तमान पता :- .....

1. जब्त की गई वस्तुओं का विवरण:-

क्र०सं०	सामान का नाम	विवरण	मात्रा

2. जब्त किए गये वस्तुओं की प्रति में जब्ती पदधिकारी/कर्मचारी का

नाम.....

3. कर्मचारी का पदनाम .....

4. कार्यालय का नाम .....

5. कार्यालय का पता .....

6. उस परिसर का पता जहां से वस्तुएं प्राप्त की जा सके .....

मोबाइल न०/दूरभाष न०-

हस्ताक्षर

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार परिशिष्ट "क"

फुटपाथ विक्रेताओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन करने हेतु बेस लाइन सर्वेक्षण/निबंधन

फॉर्म संख्या :-.....

निबंधन संख्या :-.....

सर्वेक्षणकर्ता का नाम :-.....

फुटपाथ विक्रेता का स्थान :- .....

सर्वेक्षण करने का स्थान :- .....

सर्वेक्षण करने समय :- .....

फुटपाथ विक्रेता का कार्य स्थल का फोटो (इस तरह से खीचा जाए जिससे वहाँ के आस पास के स्थान का स्थाई चित्र प्रदर्शित हो।)

फुटपाथ विक्रेता का पासपोर्ट आकार का फोटो

A. रोजगार क्षेत्र संबधी सूचना :-

1.जिला-		2.शहर-		3.निकाय-	
4.सड़क/गली-		5.वार्ड नं०- एवं बाजार का नाम		4.मोबाईल नं०-	

B. रोजगार संबंधी सूचना :-

1.विक्रय स्थल (बा़जार हाट फुटपाथ या पार्क)		2.वैंडिंग का समय	a. सुबह b. दोपहर c. शाम d. रात e. दिनभर		
3. वैंडिंग की (कुल अविध)		4. आप कितने समय से वैंडिंग		5. आप कितने समय से उस	

		कर रहे हैं		स्थल पर वेंडिंग कर रहे हैं :-	
6. आप कितने समय से इस निकाय में वेंडिंग कर रहे हैं			7. आपके व्यवसाय में परिवार के सदस्य की संख्या		
8. प्रति दिन औसत आय	रु.		9.प्रति दिन औसत बचत	रु.	
10. विक्रय की जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं के नाम					
11. क्या आपने व्यवसाय हेतु कहीं से ऋण लिया हैं	हाँ ☐ नहीं ☐	12. यदि हाँ तो कहाँ से			
		13. ऋण की रकम			
14. क्या आप स्थायी तौर पर या मौसमी स्तर पर विक्रय करते हैं:-	स्थायी ☐ मौसमी ☐	15. सप्ताह में आप कितने दिन व्यवसाय करते हैं a. 1.दिन ☐ b. 2 दिन ☐ c.3 दिन ☐ d. 4.दिन ☐ e. 5 दिनf. ☐ f. 6. दिन ☐ g. 7. दिन ☐			
16. क्या आप किसी फुटकर विक्रेता संघ (वेंडिंग यूनियन) के सदस्य हैं	हाँ ☐ नहीं ☐	17. यदि हाँ तो संगठन का नाम			
18. विक्रय हेतु क्या आप के पास अधिकार पत्र हैं	हाँ ☐ नहीं ☐	19. यदि हाँ तो संगठन का नाम			
20. आप जब वेंडिंग करते हैं तो किसी प्रकार का शुल्क देते हैं	हाँ ☐ नहीं ☐	21. यदि हाँ तो कितनी		रु.	
22. शुल्क लेने वाली संस्था का नाम		23. वेंडिंग करने के क्रम में अगर कोई समस्या आती हैं तो इस संबंध में आप कहाँ शिकायत करते हैं			

C. व्यक्तिगत सूचना :-

1.पूरा नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)							
2.पिता/पति का नाम		3. माता का नाम					
4.लिंग	a. पुरुष b. महिला c. अन्य	5. आयु					
6. वैवाहिक स्थिति	a. विवाहित ☐ b. अविवाहित ☐ c. तलाक शुदा ☐ d. विधुर ☐ e. विधवा ☐						
7.शैक्षणिक योग्यता		8.परिवार के सदस्यों की संख्या		9.धर्म		10. जाति	
11. निः शक्त	हाँ ☐ नहीं ☐	12. यदि हाँ, तो विवरण					
13. नामित व्यक्ति का नाम		14. व्यक्ति का सम्बन्ध					
15. क्या आपके पास मकान हैं हाँ ☐ नहीं ☐		16. यदि हाँ तो कच्चा ☐ पक्का ☐ मिश्रित ☐				17. अगर किराये के मकान में रहते है तो कितना किराया देते हैं	रु.
18. क्या आपके पास अपनी जमीन हैं हाँ ☐ नहीं ☐		19. हाँ तो कितनी				20. इस निकाय में आप कब से निवास कर रहें हैं	
21.आवासीय पता							
22. स्थायी पता		थाना		शहर			
ग्राम/मोहल्ला		पिन कोड		राज्य			
23. पहचना प्रमाण प्रपत्र (यदि हो तो)							
राशन कार्ड	हां/नहीं	कार्ड संख्या					
बी.पी.एल. कार्ड	हां/नहीं	कार्ड संख्या					
वोटर आई. डी.	हां/नहीं	कार्ड संख्या					
आधार कार्ड	हां/नहीं	कार्ड संख्या					
अन्य (विवरण के साथ)							
24. बैंक खाता (यदि हो तो)							

बैंक का नाम		खाता का नाम																	
25. वैकल्पिक कौशल/आजीविका प्रशिक्षण जिसमें आपकी रूचि हो																			

D.	परिवार के मुखिया सहित परिवार के सभी सदस्यों का विवरण				
क्र.स.	**नाम**	**आयु**	**लिंग**	**शैक्षणिक योग्यता**	**संबंध**
1					
2					
3					
4					
5					
D.1	परिवार में काम करने वाले लोगों की संख्या				
D.2	परिवार की कुल मासिक आय				

(सर्वेक्षकर्ता का हस्ताक्षर) फुटपाथ वेंडर का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

.....यहाँ से फाडें.....

फॉम संख्या :- ..... तिथि - ...../...../20.....

फुटपाथ विक्रेता का नाम :- .....

पिता/पति का नाम :- ..... आयु :- ..... लिंग :- .....

वार्ड न.:- .....शहर :- ..... जिला :- ..... मोबाइल नं. :- .....

(सर्वेक्षणकर्ता का हस्ताक्षर) (फुटपाथ वेंडर का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 229--50 ।